नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024
भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नालागढ़ के लेखों का अंकेक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

1) अध्यक्ष :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती तारा अवस्थी (उपाध्यक्षा) (कार्यवाहक अध्यक्षा)	1.04.2023 से 31.08.2023 तक
2	श्रीमती अलका वर्मा (अध्यक्षा)	1.09.2023 से 31.03.2024 तक

2) कार्यकारी अधिकारी :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रणवीर सिंह वर्मा	1.04.2023 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 04/23 से 03/24 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	6 (ख) (iv)	अनादरित चैकों की वसूली हेतु शेष राशि का रोकड़ बही के व्यय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	20.24
2	8 (ख)	अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष व अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	442.47 व 462.56
3	11 (i) (क)	दिनांक 31.03.2024 तक सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	61.56
4	11 (ii) (क)	दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों व प्लाटों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	401.68
5	11 (iv)	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कम वसूली	8.36
6	11 (v)	तहबाजारी के रूप में कम वसूली	1.87
7	13 (i) व (ii)	संविदाकारों को अधिक एवं गलत भुगतान	2.77
8	16	नगर परिषद नालागढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं अनुचित एवं गलत भुगतान	0.52

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-"क"** पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करना अत्यंत चिन्ताजनक है। अतः नगर

परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्यवाही सुनिश्चित करें, तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासम्भव अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन/निपटारा सम्भव हो सके।

<u>भाग- दो.</u>

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 5.08.2024 से 31.08.2024 तक नालागढ़ में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023-24	03/2024	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध कार्यवाही गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹34800 आंका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 404 दिनांक 28.08.24 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009

को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को `34800 द्वारा एच० डी० एफ० सी० बैंक नालागढ़ के चैक संख्या 000603 दिनांक 30.08.2024 के अंतर्गत निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।

4 वित्तीय विवरणियां:-

नगर परिषद/नगर पंचायत अधिनियम -1994 के अंतर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा संख्या 27.4 के अनुसार नगर पंचायत/नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक है। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां आवश्यक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-366 दिनांक 7.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या- एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि कि वित्तीय विवरणियां तैयार कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) तुलन पत्र (Balance Sheet)

(ii) आय-व्यय विवरणी (Income and Expenditure statement)

(iii) नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of Cash Flow)

(iv) प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt and Payment Statement)

(v) लेखाओं पर टिप्पणी (Notes to accounts)

(vi) वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance indicator)

5 दोहरा लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 दिनांक 7.09.2009 और UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने सभी लेखा खातों को

दिनांक 1.04.2009 से दोहरा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से बनाया जाएगा परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखा खातों का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था । उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -367 दिनांक 7.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या- एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दोहरी लेखा पद्धति माह अप्रैल 2024 से शुरू कर दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रतियुत्तर अनुसार माह अप्रैल 2024 से लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वितीय स्थिति :-

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट - (ख)** पर भी दिया गया है।

शीर्ष का नाम	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	भविष्य निधि व पैंशन एवं उपदान खाते से हस्तांतरित राशि (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वयं स्त्रोत	20279098.48	24287826.42	10341125	1677391	56585440.90	42886058	0	13699382.90
अनुदान	35337267	61980718	0	0	97317985	46255600.64	6815697	44246687.36
योग	**55616365.48**	**86268544.42**	**10341125**	**1677391**	**153903425.90**	**89141658.64**	**6815697**	**57946070.26**

(क) नगर परिषद नालागढ़ के दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	909010019456816	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	223784

2	50200068976562	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	2646819.19
3	50100125645294	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	531300.99
4	50100536752241	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	1254197.27
5	50100326754135	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	101724
6	50100662250845	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	34057
7	372701000399	आई० सी० आई० सी० आई० बैंक नालागढ़	147677
8	372701000025	आई० सी० आई० सी० आई० बैंक नालागढ़	39630387
9	100064839270	इंडस बैंक नालागढ़	31430
10	7250516052	इंडियन बैंक नालागढ़	332025
11	7039139018	इंडियन बैंक नालागढ़	550676
12	21698817249	इंडियन बैंक नालागढ़	1694013.17
13	50512725026	इंडियन बैंक नालागढ़	22686
14	101334029000303	जोगिंद्रा सहकारी बैंक नालागढ़	4932924
15	65053606629	भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़	5690703.28
16	खाता संख्या उल्लेखित नहीं	भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़ (नोराड)	5475.36
17	12550110043134	यू० को० बैंक नालागढ़	6
18	3294600000301	यस० बैंक बददी	44566
		योग	**57874451.26**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष (₹)			**57946070.26**
घटाव:- अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2010 के पैरा संख्या-4 में असमायोजित राशि			329906.00
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष (₹)			**57616164.26**
जमा:-	दिनांक 31.03.24 तक खाता संख्या गलत होने के कारण निरस्त आर० टी० जी० एस० राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(+)	**35786**

क्र० सं०	नाम	दिनांक	राशि	रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की तिथि	रोकड़ बही पेज संख्या
1	सुदेश	7.03.24	2400	30.04.24	44
2	शीतल	7.03.24	3300	30.04.24	44
3	शुभम	16.03.24	3800	30.04.24	44
4	निदेशक, एच० पी० एस० ई० डी० सी० शिमला	20.03.24	26286	30.04.24	44
		योग	**35786**		

जमा:-	चैक निर्गमित किए गये लेकिन दिनांक 31.03.24 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये।	(+)	**454523**

क्र० सं०	चैक संख्या	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	राशि	बैंक द्वारा डेबिट करने की तिथि
1	00308	1.09.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	211	-
2	00367	1.11.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	149	-
3	00426	1.01.24	एच० डी० एफ०	274	-

			सी० नालागढ़		
4	00458	1.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	329	-
5	00473	14.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	2900	25.04.24
6	00485	23.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	450660	5.04.24
			योग	**454523**	

घटाव:-	चैक वसूली हेतु भेजे गये लेकिन दिनांक 31.03.24 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया ।	(-)	**193178**

क्र० सं०	चैक संख्या	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	राशि	बैंक द्वारा क्रेडिट करने की तिथि
1	861258	28.03.24	पी० एन० बी० नालागढ़	53575	3.04.24
2	325051	30.03.24	इंडियन बैंक नालागढ़	138650	4.04.24
3	837661	30.03.24	इंडियन बैंक नालागढ़	953	4.04.24
			योग	**193178**	

घटाव:-	हस्तगत रोकड़ (38824+20)	(-)	**38844**
दिनांक 31.03.24 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों के अनुसार अन्तिम शेष (₹)			**57874451.26**

(ख) (i) नगर परिषद के अवधि 04/2007 से 03/2010 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या-4 में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के ₹329906 के अन्तर का मिलान/समाधान शेष

नगर परिषद के अवधि 04/2007 से 03/2010 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 4 में वर्णित दिनांक 31.03.2010 की बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹329906 का अन्तर दर्शाया गया था । तत्पश्चात

अंकेक्षण द्वारा अपने प्रत्येक प्रतिवेदन में इस अन्तर को वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणी में दर्शाते हुए इसका प्राथमिकता के आधार पर समायोजन किए जाने बारे कहा गया था, परन्तु 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उक्त अन्तर की राशि का मिलान नहीं किया गया। इतनी बड़ी राशि का अन्तर होने पर भी इसके समायोजन के प्रति उदासीनता नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अतः इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) कालातीत चैकों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.24 तक निम्नलिखित विवरणानुसार जारी किए गये चैकों को बैंक द्वारा डेबिट नहीं किया गया था व उक्त चैकों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र० सं०	चैक संख्या	जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	00308	1.09.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	211
2	00367	1.11.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	149
3	00426	1.01.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	274
			योग	**634**

अतः उपरोक्त उल्लेखित कालातीत चैकों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कालातीत चैकों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवया जाए।

(iii) भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़ (नोराड NORAD) का बचत बैंक खाता अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि की विवरणी में पाया गया कि क्रम संख्या -16 पर

उल्लेखित भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़ (नोराड NORAD) के बैंक बचत खाता में दिनांक 31.03.24 को `5475.36 अन्त शेष दर्शाया गया था। परन्तु उक्त बचत खाते की बैंक पास बुक तथा दिनांक 31.03.24 तक उक्त खाते में जमा राशि का प्रमाण पत्र आवश्यक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक विवरणी में उक्त बचत खाते की संख्या भी उल्लेखित नहीं की गई थी। अतः उक्त बचत खाते का सम्पूर्ण विवरण नवीनतम शेष राशि सहित सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके तदानुसार इसका निपटान सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) अनादरित चैकों की वसूली हेतु शेष राशि₹2024106 का रोकड़ बही के व्यय पक्ष में गलत इन्द्राज करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -24 दिनांक 7.02.24 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार 25 व्यक्तियों/फर्मों के अनादरित चैकों की वसूली हेतु शेष राशि ₹2024106 की गलत समायोजन प्रविष्टि दर्ज करके अनादरित रूप से अंतिम शेष से ₹2024106 कम कर दिया गया था। जबकि अनादरित चैकों की राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों से वसूला जाना अपेक्षित था।

क्रम संख्या	व्यक्ति/ फर्म का नाम	दिनांक	चैक संख्या	राशि (₹)
1	श्री दीप सिंह	10.06.17	234923	509833
2	श्री दीप सिंह	10.09.17	234925	523133
3	श्री दीप सिंह	10.01.18	234929	523133
4	श्री बलबीर सिंह	10.04.18	79944	39430
5	श्री अजीत पाल	10.04.18	650818	1469
6	श्री लखवीर सिंह	10.04.18	45251	3458
7	श्री बुध राम	16.01.20	51845	10000

8	श्री राजेश कुमार	11.01.20	207	50000
9	श्री राजेश कुमार	26.02.20	208	50000
10	श्री राजेश कुमार	11.06.20	209	50000
11	श्री राजेश कुमार	11.07.20	210	50000
12	श्री राजेश कुमार	11.08.20	211	50000
13	श्री राजेश कुमार	20.06.20	212	38745
14	श्री नरेंदर शर्मा (शर्मा न्यूज़ एजेंसी)	19.04.20	37137	10800
15	श्री गुरनाम सिंह	2.03.21	64152	2749
16	श्री इर्षद खान	5.05.21	596912, 049700 to703	3000
17	श्री देवी दास	2.05.21	71758	6481
18	श्री लखवीर सिंह	7.06.21	89469	7259
19	लक्की मेडिकोस	3.07.21	89500	3630
20	श्री राजदेव	6.12.21	25483	40000
21	श्री बलवंत सिंह	28.12.21	100473	10000
22	श्री महेश बस्सी	10.05.22	11262	23010
23	श्री हेम राज	4.06.22	291092	1976
24	श्री राज कुमार	7.01.23	110130	6000
25	श्री शिव कुमार	3.06.23	12	10000
			योग	**2024106**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-384 दिनांक 17.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/नलग/2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि चैक जो

तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये थे, इनकी वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार अनादरित चैकों की राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों से शीघ्र अति शीघ्र वसूली करने उपरांत रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) नगर परिषद नालागढ़ की पैंशन एवं उपदान निधि की अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक की वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद नालागढ़ की पैंशन एवं उपदान निधि की अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट - (ख-1)** पर भी दिया गया है|

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष(₹)
2023-24	320948	11124142	11445090	10497805	947285

अन्तिम शेष :- दिनांक 31.03.24 को जोगिंद्रा सेंट्रल सहकारी बैंक नालागढ़ के बचत खाता संख्या -101334001009914 में जमा शेष राशि = ₹947285

(घ) नगर परिषद नालागढ़ की सामान्य भविष्य निधि की अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक की वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद नालागढ़ की सामान्य भविष्य निधि की अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट - (ख-1)** पर भी दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	11765585.84	2380442	14146027.84	4409771	9736256.84

अन्तिम शेष :- दिनांक 31.03.24 को जोगिंद्रा सेंट्रल सहकारी बैंक नालागढ़ के बचत खाता संख्या -101334001005612 में जमा शेष राशि = ₹9736256.84

(ङ) नगर परिषद नालागढ़ की अंशदायी पैंशन योजना की अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक की वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद नालागढ़ की अंशदायी पैंशन योजना की अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट - (ख-1)** पर भी दिया गया है|

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	3038140	493559	3531699	0	3531699

अन्तिम शेष :- दिनांक 31.03.24 को जोगिंद्रा सेंट्रल सहकारी बैंक नालागढ़ के बचत खाता संख्या -101334029100031 में जमा शेष राशि = ₹3531699

(च) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा पैंशन एवं उपदान निधि, सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैंशन योजना की रोकड़ बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक पैंशन एवं उपदान निधि, सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैंशन योजना की रोकड़ बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। पैंशन एवं उपदान निधि, सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैंशन योजना की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुकों के आधार पर तैयार की गई है। उक्त रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-368 दिनांक 7.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/नलग/2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। उत्तर वास्तविकता एवं तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि उपरोक्त उल्लेखित रोकड़ बहियां न तो तैयार की गई थी व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः पैंशन एवं उपदान

निधि, सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैंशन योजना की रोकड़ बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त निधियों की रोकड़ बहियाँ शीघ्र अति शीघ्र तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 नगर परिषद नालागढ़ के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:-

नगर परिषद नालागढ़ की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)
2021-22	71308882	71372166
2022-23	85301145	83202705
2023-24	87945935	89141659

8 अनुदान:-

(क) अंकेक्षण अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है | जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट – (ग)** पर भी दिया गया है|

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	35337267	61980718	97317985	46255600.64	6815697	44246687.36

(ख) अनुदानों की ₹442.47 लाख व्यय हेतु शेष :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-(ग)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹44246687.36 व्यय हेतु शेष थे | अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों की राशियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ है, वही दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं तथा जनता को भी प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। दिनांक 31.03.2024 तक अनुदानों की शेष राशि को व्यय न करने का का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-401 दिनांक 27.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ

ANNUAL REPORT

लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुपयुक्त अनुदान राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर लिया जायेगा। अतः अनुपयुक्त अनुदान राशि को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए, इसे सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेश्यों एवं लक्ष्यों हेतु समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹462.56 लाख के अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट - (ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों से क्रमशः ₹46255600.64 का व्यय किया गया दर्शाया गया था। लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई थी, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-402 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदान राशि व्यय होने उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिए जायेंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

(घ) अनुदान राशि ₹5.98 लाख से अधिक व्यय :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य मंत्री शहरी आवास गारंटी योजना (MMSAYG) शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। लेकिन नगर परिषद नालागढ़ द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से ₹597875 अधिक व्यय किया गया था। अतः अनुदान राशि से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति आगामी प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करने से निश्चित तौर पर परिहार किया जाये।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	-503900	574725	70825	668700	-597875

(ङ) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना:-

नगर परिषद नालागढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों/ संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 स्वीकृत बजट राशि ₹10.63 लाख से अधिक व्यय:-

नगर परिषद नालागढ़ का वित्तीय वर्ष 2023-24 का स्वीकृत बजट व वास्तविक व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	अन्तर (₹)
2023-24	78509413	89141659	10632246

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹10632246 का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी | स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 386 दिनांक 17.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि स्वीकृत बजट से अधिक व्यय को निदेशक, महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर के अनुसार स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि को निदेशक, शहरी विकास विभाग के कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

(i) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके | अतः वितीय वर्ष 2023-24 की बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

10 आय :-

नगर परिषद नालागढ़ की दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न संसाधनों से ₹46678693 आय वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का नाम	दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	सम्पत्ति कर	6156450
2	दुकान किराया	40168493
3	मोबाइल टावर	353750
	योग	**46678693**

(i) (क) दिनांक 31.03.2024 तक सम्पत्ति कर ₹61.56 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट- (घ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक निम्न विवरणानुसार सम्पति कर का बकाया राशि ₹6156450 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत्त रहता है तो संबंधित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा । नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद / नगर पंचायत/ नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था । परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । सम्पत्ति कर की वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 400 दिनांक 27.08.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। कि नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु 21 नंबर बकायादारों से किराया वसूली हेतु केस कोर्ट में दायर किए हैं, अंकेक्षण को सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी । प्रतियुत्तर पूर्णतया आधारहीन व तथ्यों के विपरीत है क्योंकि दुकानदारों के विरुद्ध किराये की वसूली हेतु जिला समाहर्ता के समक्ष केस दायर करने का सम्पत्ति कर से कोई लेना-देना नहीं है । अतः सम्पत्ति कर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पत्ति कर की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष राशि
2023-24	4315292	5600936	9916228	3759778	6156450

(ख) सम्पत्ति कर रजिस्टर विधिवत्त तैयार न करना व सम्पत्ति कर राशि ₹1775093 का इन्द्राज गृहकर रजिस्टर में न करना

अंकेक्षण के दौरान सम्पत्ति कर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का सम्पत्ति कर रजिस्टर विधिवत्त तैयार नही किया गया था। सम्पत्ति कर रजिस्टर में दिनांक 31.03.24 को प्रत्येक सम्पत्ति कर दाता के अनुसार अन्तिम शेष दर्ज नही था केवल वर्षवार विवरणी अलग से सम्पत्ति कर रजिस्टर में सलंग्न की गई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	4315292	5600936	9916228	3759778	6156450

नगर परिषद नालागढ़ के 9 वार्ड है सम्पत्ति कर रजिस्टर में सम्पत्ति कर दाता अनुसार अन्तिम शेष दर्ज न होने की अवस्था में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि दिनांक 31.03.24 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष राशि का अंतिम शेष वास्तव में सही स्थिति दर्शाता है। अतः सम्पत्ति कर रजिस्टर में प्रत्येक सम्पत्ति कर दाता अनुसार व वार्ड अनुसार अन्तिम शेष दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रजिस्टर विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 की गृहकर विवरणी के अनुसार ₹3759778 की वसूली दर्शाई गई थी, लेकिन गृहकर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि गृहकर

रजिस्टर में विभिन्न वार्डों की रसीदों के अनुसार गृहकर दाताओं के खातों में निम्नलिखित राशियाँ दर्ज की गई थी।

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	रसीदों के अनुसार दर्ज की गई राशि (₹)
1	1	661012
2	2	312377
3	3	79513
4	4	76635
5	5	204896
6	6	162910
7	7	244884
8	8	56453
9	9	186005
	योग	**1984685**
सम्पत्ति कर विवरणी के अनुसार दर्शाई गई वसूली		3759778
	कम दर्ज राशि	**1775093**

अतः सम्पत्ति कर रजिस्टर में सम्पत्ति कर के रूप में वास्तविक वसूली गई राशि ₹3759778 की जगह ₹1775093 कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज की गई राशि का सम्पत्ति कर रजिस्टर में सम्बन्धित सम्पत्ति कर दाताओं के खातों में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमिताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 393 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ

लाया गया। जिसके प्रतिपुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्पत्ति कर रजिस्टर में केवल नकद भुगतान वाली जी-8 का इन्द्राज किया गया था, जो राशि ऑनलाइन प्राप्त हुई थी उसका इन्द्राज नहीं किया गया था। जिस कारण वसूली कम दर्ज की गई थी। जिसका इन्द्राज कर लिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः सम्पत्ति कर के रूप में वसूली गई ऑनलाइन राशि को इन्द्राज सम्पत्ति कर रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जाए व सम्पत्ति कर के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि का इन्द्राज सम्पत्ति कर रजिस्टर में सम्बन्धित सम्पत्ति कर दाताओं के खातों में किया जाना सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) (क) दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों व प्लाटों के किराये की बकाया राशि ₹401.68 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट- (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक निम्नविवरणानुसार दुकानों व प्लाटों के किराये के रूप में ₹40168493 वसूली हेतु शेष थी | हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि/ टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत्त रहता है, तो संबंधित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा | नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद/ नगर पंचायत/ नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चो व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था | परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई | उक्त दुकानों व प्लाटों

के किराये की वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 400 दिनांक 27.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु 21 नंबर बकायादारों के किराया वसूली हेतु केस कोर्ट में दायर किए गये हैं। उत्तर अंशतः संतोषजनक है, क्योंकि इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष रहना चिन्ता का विषय है। अतः दुकानों व प्लाटों के किराये की वसूली हेतु शेष राशियों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	मद	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	दुकानें	24661214	9784426	34445640	6119995	28325645
2023-24	IDSMT के अंतर्गत निर्मित दुकानें	9735019	1729712	11464731	285421	11179310
2023-24	पट्टे पर दिए गये प्लाट/ जमीन का किराया	582391	715883	1298274	634736	663538
	योग	**34978624**	**12230021**	**47208645**	**7040152**	**40168493**

(ख) अनुबन्ध की अवधि समाप्ति उपरांत दुकानदारों के किराये में वृद्धि न करने के कारण कम वसूली ₹12996 :-

अंकेक्षण के दौरान आई० डी० एस० एम० टी० के अंतर्गत निर्मित दुकानों के दुकानदारों की अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने जाने उपरांत किराये में 5% की वृद्धि न करने के कारण नगर परिषद को किराये के रूप ₹12996 कम वसूली हुई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्र० सं०	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	अनुबन्ध की अवधि	मासिक किराया (₹)	अनुबन्ध की समाप्ति उपरांत किराये में	नया मासिक किराया (₹)	अन्तर (₹)	जिस अवधि से जिस अवधि तक किराये में वृद्धि नहीं की गई	मासों की संख्या	कम वसूली (₹)

					अपेक्षित वृद्धि की दर					
1	5	श्री जे० डी० खुल्लर सुपुत्र श्री राम नाथ	1.02.21 से 31.01.24	3473	5%	3647 (3473+ 3473x 5%)	174	1.02.24 से 31.03.24	2	348
2	9	श्री जे० डी० खुल्लर सुपुत्र श्री राम नाथ	1.02.21 से 31.01.24	1852	5%	1945 (1852+ 1852x 5%)	93	1.02.24 से 31.03.24	2	186
3	10	श्री फुमण सिंह सुपुत्र श्री बूड़ा राम	1.12.20 से 31.11.23	1911	5%	2007 (1911+ 1911x 5%)	96	1.12.23 से 31.03.24	4	384
4	12	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री प्यारे लाल	1.02.21 से 31.01.24	2142	5%	2249 (2142+ 2142x 5%)	107	1.02.24 से 31.03.24	2	214
5	16	श्रीमती किरण बाला पत्नी श्री राम कुमार	01.12.20 से 31.11.23	2431	5%	2553 (2431+ 2431x 5%)	122	1.12.23 से 31.03.24	4	488
6	45	श्री मालिक सिंह सुपुत्र श्री नरेंदर	1.12.20 से 31.11.23	5672	5%	5956 (5672+ 5672x 5%)	284	1.12.23 से 31.03.24	4	1136
7	61	श्री रमन वर्मा सुपुत्र श्री दीवान चंद	1.08.18 से 31.07.21	6394	5%	6714 (6394+ 6394x 5%)	320	1.08.21 से 31.03.24	32	10240
									योग	**12996**

उपरोक्त उल्लेखित दुकानों के दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। यद्यपि दुकान किराया रजिस्टर में मासिक किराये में तीन वर्ष उपरांत 5% की दर से वृद्धि कर दी गई थी। अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों के मासिक किराये में तीन वर्ष उपरांत 5% की दर से वृद्धि न करने का औचित्य स्पष्ट

किया जाए व उक्त दुकानदारों के मासिक किराये में वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित दुकानों के दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्र० सं०	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	अनुबन्ध की अवधि
1	5	श्री जे० डी० खुल्लर सुपुत्र श्री राम नाथ	1.02.12 से 31.01.15
2	9	श्री जे० डी० खुल्लर सुपुत्र श्री राम नाथ	1.02.12 से 31.01.15
3	10	श्री फुमण सिंह सुपुत्र श्री चूड़ा राम	1.12.11 से 31.11.14
4	12	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री प्यारे लाल	1.02.12 से 31.01.15
5	16	श्रीमती किरण बाला पत्नी श्री राम कुमार	01.12.11 से 31.11.14
6	45	श्री मालिक सिंह सुपुत्र श्री नरेंदर	1.12.14 से 31.11.17
7	61	श्री रमन वर्मा सुपुत्र श्री दीवान चंद	अनुबन्ध नहीं किया गया

अतः उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) पर उल्लेखित दुकानदारों के अनुबंधों का नवीनीकरण व क्रम संख्या (7) पर उल्लेखित दुकान संख्या -61 के किरायेदार श्री रमन वर्मा सुपुत्र श्री दीवान चंद से अनुबन्ध न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी दुकानदारों के अनुबंधों का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकानदारों से अनुबन्ध नवीनीकरण न होने के कारण हुई ₹12996 की वसूली कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नही है। क्योंकि उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों से वित्तीय

वर्ष 2014-15 के बाद अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों से अनुबधों का नवीनीकरण व मासिक किराये में नियमानुसार वृद्धि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी दुकानदारों से अनुबधों का नवीनीकरण व मासिक किराये में नियमानुसार वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) दिनांक 31.03.2024 तक मै० जरनैल सिंह एंड कंपनी से दुकान किराया ₹2768645 की वसूली न करना :-

दुकान किराया रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दुकान किराया रजिस्टर पृष्ठ संख्या 29 पर दर्ज दुकान संख्या -76 व 77 को मै० जरनैल सिंह एंड कंपनी को किराये पर दिया गया था व उक्त फर्म से दिनांक 31.03.24 तक दुकान किराया के रूप में निम्नलिखित विवरणानुसार ₹2768645 वसूली हेतु शेष थी। दुकान किराया के रूप में इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष रहना एक चिन्ता का विषय है।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि का अंतिम शेष (₹)
2023-24	2158645	600000	2758645	0	2758645

अतः उपरोक्त उल्लेखित वसूली हेतु शेष राशि ₹2758645 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली हेतु संस्था स्तर पर शीघ्र अति शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करते हुए राशि की वसूली हेतु केस जिला समाहर्ता के पास दायर किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित दुकानों के किराया की मांग राशि ₹600000 के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख व अनुबन्ध भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित अभिलेख व अनुबन्ध को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमिताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 394 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान संख्या 76 व 77 में ₹2758645 की राशि किराये रजिस्टर में कम दर्शाई गई थी, जिसमें से 20 लाख की वसूली आर० टी० जी० एस० द्वारा कर ली गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि न तो उक्त दुकानों के आर० टी० जी० एस० द्वारा 20 लाख की वसूली करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया व न ही उक्त राशि का इन्द्राज दुकान किराया रजिस्टर में दर्ज किया गया था। अतः उक्त दुकानों के किराये के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख व वसूली गई राशि का इन्द्राज दुकान किराया रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) दुकान को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि ₹30000:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकान को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण नगर परिषद को किराये के रूप में आय की ₹30000 वितीय हानि हुई थी।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया (₹)	जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रहीं	जितने माह दुकानें खाली रहीं	किराये के रूप में हुई वितीय हानि (₹)
1	301	2500	01.04.23 से 31.03.24	12 माह	30000

खाली दुकानों को मासिक किराये पर न देने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़

के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा दुकान संख्या 301 की दो बार नीलामी करवाई गई थी, बोली दाताओं ने नीलामी में भाग नहीं लिया, जिस कारण दुकान 12 माह खाली रही। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उक्त दुकान से नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दुकान संख्या 30 को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व उक्त दुकान को शीघ्र अति शीघ्र नीलामी द्वारा मासिक किराये पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) नगर परिषद के प्लाट व दुकानों के दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण न करवाना :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट – (ङ-1)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.03.24 तक नगर परिषद नालागढ़ के पास 82 प्लाट व 398 दुकानें है। जिनमें से 35 प्लाट धारकों व 150 दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 395 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा बनाए गये इकरारनामे के अनुसार इकरारनामा नवीनीकरण की जिम्मेदारी दुकानदार की है, नगर परिषद द्वारा किराया नियमानुसार बढ़ाया जा रहा है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इकरारनामा नवीनीकरण की जिम्मेदारी नगर परिषद नालागढ़ की है। अतः उक्त प्लाट धारकों व दुकानदारो से अनुबंधों का नवीनीकरण न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी प्लाटधारकों व दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) दिनांक 31.03.24 तक मोबाईल टावरों के स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क ` 3.54 लाख की वसूली हेतु शेषः-

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट- (च)** पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना दिनांक 31.03.24 तक मोबाईल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क की निम्नानुसार ₹353750 की राशि वसूली हेतु शेष थी। मोबाइल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 400 दिनांक 27.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु 21 नंबर बकायादारों के किराया वसूली हेतु केस कोर्ट में दायर किए गये हैं।। प्रतियुत्तर पूर्णतया आधारहीन व तथ्यों के विपरीत है क्योंकि दुकानदारों के विरुद्ध किराये की वसूली हेतु जिला समाहर्ता के समक्ष केस दायर करने का मोबाइल टावर शुल्क से कोई लेना-देना नहीं है। अतः मोबाइल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	353750	0	353750	0	353750

(iv) घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कम वसूली ₹836050 :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ द्वारा **परिशिष्ट – (छ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में स्थित निवासियों

से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली माह दिसम्बर/2023 से शुरू की गई थी व दिनांक 31.03.2024 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में ₹115150 की वसूली की गई थी। जबकि नगर परिषद परिधि में स्थित निवासियों से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में माह दिसम्बर/ 2023 से मार्च/ 2024 तक चार माह हेतु ₹951200 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप नगर परिषद नालागढ़ में घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में ₹836050 की कम वसूली हुई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का नाम	संख्या	अधिसूचना के अनुसार दरें	वसूली योग्य राशि (दिसम्बर / 2023 से मार्च/ 2024 तक चार माह हेतु) (₹)	
1	घर	2535	50	2535x50x4 =	507000
2	दुकानें	731	100	731x100x4=	292400
3	सरकारी कार्यालय (छोटे)	9	100	9x100x4=	3600
4	सरकारी कार्यालय (बड़े)	6	1000	6x1000x4=	24000
5	सरकारी प्राथमिक विद्यालय	3	100	3x100x4=	1200
6	सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	3	100	3x100x4=	1200
7	सरकारी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान	1	100	1x100x4=	400
8	सरकारी हॉस्पिटल	2	1500	2x1500x4=	12000
9	रैस्टोरेंट	5	1500	5x1500x4=	30000
10	होटल	3	1700	3x1700x4=	20400
11	ढ़ाबे	7	350	7x350x4=	9800
12	बैंक	5	750	5x750x4=	15000

13	निजी विद्यालय	4	500	4x500x4=	8000
14	निजी क्लिनिक	2	150	2x150x4=	1200
15	धर्मशाला	1	550	1x550x4=	2200
16	बार (Bar)	1	1700	1x1700x4=	6800
17	सरकारी कॉलेज	1	1000	1x1000x4=	4000
18	प्राइवेट कॉलेज	1	1500	1x1500x4=	6000
19	स्ट्रीट वेंडर	15	100	15x100x4=	6000
				योग	**951200**
				वसूली गई राशि	**115150**
				कम वसूली गई राशि	**836050**

अतः उपरोक्त उल्लेखित घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली योग्य राशि से कम राशि वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

(ii) घर-घर कूड़ा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, उक्त रजिस्टर तैयार न करने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि किस घर, दुकान, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूली गई व दिनांक 31.03.2024 तक कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः घर-घर कूड़ा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रजिस्टर को विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः उक्त रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

(iv) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगर परिषद नालागढ़ में 74 नंबर गली विक्रेता (street vender) पंजीकृत थे व 74 नंबर गली विक्रेताओं से घर- घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली की जानी अपेक्षित थी। जबकि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की सूची में 15 नंबर गली विक्रेता दर्शाए गए है। फलस्वरूप 59 नंबर गली विक्रेता कम दर्शाकर कम दर्शाकर माह दिसम्बर/ 2023 से मार्च/ 2024 तक चार माह हेतु ₹100 की दर से 23600 की कम वसूली दर्शाई गई थी। अतः वास्तविक गली विक्रेताओं की संख्या की जगह कम गली विक्रेता दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी गली विक्रेताओं से घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 398 दिनांक 27.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली की जा रही है, परन्तु लोगों द्वारा अदायगी नहीं की जा रही है। जिस कारण कम वूसली की गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) तहबाजारी के रूप में कम वसूली ₹186887:-

प्रस्ताव संख्या-368 दिनांक 25.03.2010 के अनुसार नगर परिषद में साधारण तहबाजारी 0.75 पैसे प्रति वर्ग फुट व चार पहिया रिक्शा रेहड़ी वालों से 200 प्रति माह की दर से तहबाजारी निर्धारित की गई थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना व अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तहबाजारी के रूप में वसूली योग्य राशि की जगह कम राशि की वसूली करने के कारण ₹186887 की कम वसूली हुई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का नाम	संख्या	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	साधारण तहबाजारी	44	211943	142656	69287
2	चार पहिया रिक्शा रेहड़ी	53	127200	9600	117600
		योग	**339143**	**152256**	**186887**

अतः तहबाजारी के रूप में वसूली योग्य राशि से कम राशि की वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यापारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) तहबाजारी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि तहबाजारी रजिस्टर आधा-अधूरा तैयार किया गया था। तहबाजारी रजिस्टर को विधिवत्त तैयार नहीं किया गया था। तहबाजारी रजिस्टर में तहबाजारी प्रदान करने वाले व्यापारी का नाम, वसूली हेतु शेष राशि का आरंभिक शेष, वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि, वर्ष के दौरान वसूली गई राशि व दिनांक 31.03.24 को वसूली हेतु शेष राशि का अंतिम शेष उल्लेखित किया जाना अपेक्षित थी। अतः तहबाजारी रजिस्टर को विधिवत्त तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तहबाजारी रजिस्टर को विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 390 दिनांक 27.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि तहबाजारी की वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार तहबाजारी की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) स्लाटर हाउस/मीट विक्राताओं से कम वसूली ₹3080 :-

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नालागढ़ द्वारा प्रदान की गई सूचना पत्र संख्या–SHVH NGL-263 दिनांक 19.08.2024 के अनुसार अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक 8 स्लाटर हाउस/ मीट विक्रेताओं द्वारा 726 नग/पशु काटे गये। नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या -368 दिनांक 25.03.2010 के अनुसार स्लाटर हाउस शुल्क के रूप में `10 प्रति नग की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा स्लाटर हाउस शुल्क के रूप में ₹3080 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	काटे गये पशुओं/ नगों की संख्या	दर	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली (₹)
1	726	10	7260	4180	3080

उपरोक्त उल्लेखित कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –391 दिनांक 27.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि स्लाटर हाउस शुल्क की वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार स्लाटर हाउस शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **(क) (i) शराब उपकार की वसूली न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू. एल. बी. – एच. (सी) (9)-1, दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर एक रूपए प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उप कर भुगतान किया जाना था। परन्तु

कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र व अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई थी। अतः सम्बन्धित विभाग से विक्रय की गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख / आंकड़े अब एकत्रित करके आपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना हिमाचल प्रदेश से वर्ष अनुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि दिनांक 31.03.2024 तक लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार शराब उप कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) (i) विद्युत उप-कर की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी) (1)-9/94 दिनांक 24.08.2000 व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद के क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट एक पैसा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र व अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विद्युत उप-कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/ आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से दिनांक 31.03.2023 तक विद्युत उप-कर के रूप में कितनी राशि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई थी व कितनी राशि दिनांक 31.03.2023 तक विद्युत बोर्ड से लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार विद्युत उप-कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान की राशि ₹420090 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा न करवाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 4/23 से 3/24 तक नगर परिषद द्वारा सफाई ठेकेदार श्री रविंदर कुमार के बिलों से कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान की मूल राशि से 6.25% की दर से ₹420090 की कटौती की गई थी। लेकिन उक्त राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं करवाया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

ANNUAL REPORT

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	संविदाकार का नाम	कार्य का नाम	सफाई कर्मचारियों की संख्या	सकल भुगतान (₹)	सफाई ठेकेदार के बिल से कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान की काटी गई राशि @ 6.25%
1	30/ 18.04.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1	383630	23976

			कार्य	नंबर ड्राईवर		
2	19/ 2.05.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
3	32/ 7.06.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
4	27/ 11.07.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
5	30/ 5.08.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
6	23/ 11.09.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
7	38/ 9.10.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
8	30/8.11. 23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में	सफाई कर्मचारियों की	383630	23976

			सफाई का कार्य	संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर		
9	45/ 9.11.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में घर-घर कूड़ा संग्रहण का कार्य (10 दिन)	सफाई कर्मचारियों की संख्या 24 व 1 नंबर सुपरवाइजर	166133	10383
10	21/7.12.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में घर-घर कूड़ा संग्रहण का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 24 व 1 नंबर सुपरवाइजर	468195	29262
11	22/ 7.12.23	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	383630	23976
12	19/ 9.01.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	410011	25625
13	20/ 9.01.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में घर-घर कूड़ा	सफाई कर्मचारियों की संख्या 24 व 1 नंबर	468195	29262

			संग्रहण का कार्य	सुपरवाइजर		
14	46/ 13.02.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में घर-घर कूड़ा संग्रहण का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 24 व 1 नंबर सुपरवाइजर	468195	29262
15	47/ 13.02.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	410011	25625
16	19/ 6.03.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में घर-घर कूड़ा संग्रहण का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 24 व 1 नंबर सुपरवाइजर	468195	29262
17	20/ 6.03.24	श्री रविंदर कुमार	वार्ड संख्या 1 से 9 में सफाई का कार्य	सफाई कर्मचारियों की संख्या 30 व 1 नंबर ड्राईवर	410011	25625
				योग	**6721616**	**420090**

उपरोक्त उल्लेखित काटी गई कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 377 दिनांक 17.08.24 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक

29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि ठेकेदार द्वारा यह राशि जमा करवा दी गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान के रूप में काटी गई राशि को जमा करवाने का उतरदायित्व कार्यकारी अधिकारी का था। अतः उपरोक्त उल्लेखित सफाई ठेकेदार के बिलों से कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान की काटी गई राशि ₹420090 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण/ इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 **(i) संविदाकारों को अधिक एवं अनुचित भुगतान ₹252339 :-**

अवधि 4/23 से 3/24 के दौरान नगर परिषद द्वारा करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकारों को निर्माण कार्यों में ₹252339 का अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया था। निर्धारित मानकों व तय मापदण्डों के अनुसार Providing and fixing interlock pavers tiles के प्रकरण में providing and fixing interlock pavers tiles को मजबूती प्रदान किए जाए के लिए providing and fixing interlock pavers tiles के दोनों तरफ providing and laying cement concrete 1:2:4 की परत (layer) डाली जाती है, जिससे providing and fixing interlock pavers tiles को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके। स्वतः स्पष्ट है कि जिस मात्रा के लिए providing and laying cement concrete 1:2:4 निष्पादित की जाएगी, बहां पर interlock pavers tiles नहीं लगाई जाएगी। नियमानुसार इस प्रकार के निर्माण कार्यों में providing and laying cement concrete 1:2:4 की निष्पादित कार्य मात्रा को providing and fixing interlock pavers tiles की निष्पादित कार्य मात्रा में से कम करके, providing and fixing interlock pavers tiles की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट –(ज)** पर दिए गये विवरणानुसार निर्माण/मुरम्मत कार्यों में providing and laying cement concrete 1:2:4 की मात्रा को providing and fixing interlock pavers tiles की मात्रा से कम किए बगैर ही संविदाकारों को भुगतान किया गया था, जिसके कारण संविदाकारों

ANNUAL REPORT

को `252339 अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 381 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक किए गये भुगतान की ठेकेदार से वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) संविदाकारों को अधिक एवं अनुचित भुगतान ₹25040 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में आर० सी० सी० दीवार में Providing and Laying cement concrete 1:3:6 (1cemet: 5 sand :10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) की मात्रा में वीप होल्स आर० सी० सी० पाइप 100 एम० एम० डाया की मात्रा की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹25040 अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	मद संख्या	Providing and Laying cement concrete 1:3:6 (1cemet: 3 sand :6 graded stone aggregate) की मात्रा	मद संख्या	वीप होल्स आर० सी० सी० पाइप 100 एम० एम० डाया की मात्रा	वीप होल्स की मात्रा जिसे Providing and Laying cement concrete 1:3:6 की मात्रा से नहीं घटाया गया था	दर (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	C/O retaing wall rear side of Mehar Singh ward no. -3, Nalagarh	श्री राम बिंदर सिंह	99/ 14 से 15	5	6.6 घन मीटर	6	2.5 घन मीटर	2.5 घन मीटर	3800 प्रति/घन मीटर	9500
2	C/o retaining wall Bihari colony ward no. 9 Nalagarh	श्री नितिन	99/ 71 से 72	4	88 घन मीटर	5	4.2 घन मीटर	4.2 घन मीटर	3700 प्रति/ घन मीटर	15540
									कुल योग	25040

उक्त अधिक एवं अनुचित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 382 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक किए गये भुगतान की ठेकेदार से वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 16 नंबर्स ई-टैंडर को अपलोड करने के लिए अनियमित एवं गलत भुगतान ₹16000:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या -24 दिनांक 4.08.23 के अंतर्गत श्री तेजिंदर कुमार, आजाद कॉलोनी लोअर कुरार, कालका, जिला पंचकूला, हरियाणा को 16 नंबर्स ई-टैंडर अपलोड करने के लिए ₹16000 का भुगतान किया गया था। जोकि अनियमित था, क्योंकि ई-टैंडर को अपलोड करने का कार्य नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित था। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण 16 नंबर्स ई-टैंडर को अपलोड करने के लिए किया गया भुगतान ₹16000 अनियमित एवं गलत है। उक्त अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 379 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद कार्यालय में कार्य अधिक होने के कारण पालिका प्रस्तावों की अनुपालना करते हुए ई-टैंडर को अपलोड करने के लिए अदायगी की गई है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ई-टैंडर को अपलोड करने का कार्य नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः 16 नंबर्स ई-टैंडर को अपलोड करने के लिए किए गये अनियमित एवं गलत भुगतान को नियमानुसार

उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अनियमित एवं गलत भुगतान की वसूली अनियमित एवं गलत भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए।

15 अनियमित क्रय ₹485696:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या – 28 दिनांक 18.12.23 के अंतर्गत मै० ककर एल्लान्सेस, सूया रोड, गैसपुरा, लुधियाणा (पंजाब) से बिल संख्या 19 दिनांक 5.12.23 के अंतर्गत 7 नंबर्स गार्बेज कंटेनर्स क्रय करने के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹485696 का भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	गार्बेज कंटेनर्स	7	58801	411607
			वस्तु एवं सेवा कर @18%	74089
			योग	**485696**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टैंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था। लेकिन उपरोक्त उल्लेखित गार्बेज कंटेनर्स को क्रय करने से पूर्व कोई भी निर्धारित औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी। फलस्वरूप उक्त क्रय अनियमित है। अतः एक लाख रूपए से अधिक राशि के गार्बेज कंटेनर्स को टैंडर आमंत्रित न करके क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) प्रधान सचिव, वित्त हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या – Fin(C) A (3) 5/2004 दिनांक 12.02.2020 के नियम 94-A के अनुसार राशि ₹25000 से अधिक व ₹500000 तक के क्रय हेतु GeM portal के माध्यम से कम से कम तीन निर्माताओं फर्मों से ऑनलाइन

बिडिंग (Bidding) द्वारा न्यनूतम दर भरने वाली फर्म से क्रय किया जाना अपेक्षित था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा उक्त क्रय के सन्दर्भ में कोई भी निर्धारित औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त उल्लेखित गार्बेज कंटेनर्स को GeM portal के माध्यम से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गये गार्बेज कंटेनर्स के बिल में आकार उल्लेखित नहीं था, अर्थात गार्बेज कंटेनर्स की कितनी लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई व मोटाई थी। अतः गार्बेज कंटेनर्स की लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई व मोटाई उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(vi) उपरोक्त उल्लेखित गार्बेज कंटेनर्स को नए स्थान पर लगाया गया था अथवा पुराने गार्बेज कंटेनर्स की जगह लगाए गए थे, यदि पुराने गार्बेज कंटेनर्स की जगह लगाये गए थे, तब पुराने गार्बेज कंटेनर्स का क्या किया गया, उनको नीलाम किया गया अथवा नहीं, यदि नीलाम किया गया, तो नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई, का विवरण भी अंकेक्षण को प्रदान किया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 378 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त क्रय टैंडर के माध्यम से किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि टैंडर द्वारा क्रय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित की जाए व अन्य अनियमितताओं के निपटारे हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 नगर परिषद नालागढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं अनुचित एवं गलत भुगतान ₹52125:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या -26 दिनांक 4.08.23 के अंतर्गत नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) नालागढ़ की दिनांक 8.06.23 की मीटिंग व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के पत्र संख्या HFW-SLN-NVBDCP/2023-

12373-12393 दिनांक 9.06.23 की अनुपालना में आशा वर्कर्स के साथ स्वयं सहायता समूह की 18 महिलाओं को डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागृत करने के लिए '52125 का भुगतान किया गया था। जबकि उक्त पत्रों के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त पत्रों में डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागृत करने के लिए किसी भी भुगतान करने हेतु कोई भी निर्देश प्रदान नहीं किए गये थे। फलस्वरूप डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागृत करने के लिए स्वयं सहायता समूह की 18 महिलाओं को किया गया भुगतान ₹52125 अनुचित एवं गलत है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह सदस्य का नाम	राशि (₹)
1	श्रीमती सफीना	3375
2	श्रीमती शर्मीला	3375
3	श्रीमती संतोष कौर	3000
4	श्रीमती ऊषा	3375
5	श्रीमती मोनिका देवी	2625
6	श्रीमती सुखदीप कौर	3000
7	श्रीमती माला सिन्हा	2625
8	श्रीमती अनुराधा	2625
9	श्रीमती दीपिका	2625
10	श्रीमती सिमरनजीत कौर	3000
11	श्रीमती सुदेश कुमारी	3000
12	श्रीमती शकीला	3000
13	श्रीमती कुल्बिंदर कौर	3000
14	श्रीमती नीलम	3000
15	श्रीमती रीता	2625
16	श्रीमती हरदेई	2625
17	श्रीमती शीतल देवी	2625

18	श्रीमती बिन्दु देवी	2625
	योग	**52125**

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 383 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डेंगू के सर्वेक्षण के लिए यह भुगतान किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है व तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन के पत्र संख्या HFW-SLN-NVBDCP/2023-12373-12393 दिनांक 9.06.23 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उक्त कार्य हेतु भुगतान करने से सम्बन्धित कोई भी आदेश उल्लेखित नहीं थे। अतः उक्त पत्रों में भुगतान से सम्बन्धित कोई भी निर्देश उल्लेखित न होने के कारण किए गये अनुचित एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह सदस्यों अथवा गलत भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अग्रिम:-

(i) संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु अनियमित रूप से अग्रिम (Advance) प्रदान करना ₹4250000:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा माह 11/23 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु ₹4250000 के अग्रिम (Advance) प्रदान किए गये थे। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	संविदाकार का नाम	अग्रिम राशि (₹)
1	37	9.11.23	श्री इमरान खान	600000

2	38	9.11.23	श्री सुरिंदर कुमार	500000
3	39	9.11.23	श्री शुभम कँवर	300000
4	40	9.11.23	श्री रविंदर कुमार	200000
5	41	9.11.23	श्री हिमांशु इंटरप्राइजेज	150000
6	42	9.11.23	श्री विक्रम सिंह राणा	400000
7	43	9.11.23	श्री नितिन शर्मा	500000
8	46	9.11.23	श्री हरदीप सिंह बेदी	650000
9	47	10.11.23	श्री कृष्ण लाल	100000
10	48	10.11.23	श्री अजय ठाकुर	350000
11	49	10.11.23	श्री रफिया खान	500000
			योग	**4250000**

टैंडर व कार्य आबंटन के नियम व शर्तों के अनुसार निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु अग्रिम राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है । फलस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित संविदाकारों को अप्रत्यक्ष लाभ देने के प्रयोजन से निर्माण कार्यों के लिए ₹4250000 का अनियमित रूप से अग्रिम प्रदान किए गये थे । अतः नियमों में प्रावधान न होने के बाबजूद भी संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए । इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लेखित निर्माण कार्यों हेतु प्रदान किए गये अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए । ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त अग्रिम राशियों की कटौती सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से कर ली गई है।

उपरोक्त उल्लेखित अग्रिम प्रदान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 379 दिनांक 17.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया

कि अग्रिम राशि ₹4250000 में से 3900000 समायोजित कर दिए गये हैं व क्रम संख्या 4 व 5 पर उल्लेखित श्री रविंदर कुमार से ₹200000 व श्री हिमांशु से ₹150000 कुल ₹350000 अग्रिम समायोजन हेतु शेष है जिनकी वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार अग्रिम राशि श्री रविंदर कुमार से ₹200000 व श्री हिमांशु से ₹150000 कुल ₹350000 की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त समायोजित किए गये अग्रिमों की राशि ₹3900000 से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) श्री संजय अवस्थी, कनिष्ठ अभियन्ता को प्रदान किए गये अग्रिमों का समायोजन न करना ₹240463

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट – (ख) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 8.05.2000 से लेकर 10.10.2006 तक श्री संजय अवस्थी, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹240463 के अग्रिम प्रदान किए गये थे। लेकिन उक्त अग्रिमों का समायोजन दिनांक 31.03.2024 तक नहीं किया गया था। जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अग्रिम राशि के समायोजन न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 396 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि श्री संजय अवस्थी, कनिष्ठ अभियन्ता को दिए गये अग्रिम ₹240463 की वसूली हेतु जिला समाहर्ता सोलन को पत्र संख्या -एम सी नलग/2024-517 दिनांक 20.05.24 को भेज दिया गया है। अतः वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2024 तक 18 साल व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी श्री संजय अवस्थी, कनिष्ठ अभियन्ता को प्रदान किए गये अग्रिमों का समायोजन न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अग्रिमों का समायोजन शीघ्र अति शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 पैंशन एवं उपदान खाते में घाटे के रूप में अनियमित हस्तांतरण ₹9290000

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मुख्य रोकड़ बही के विभिन्न बचत खातों से पैंशन एवं उपदान खाते में विभिन्न तिथियों को घाटे के रूप में निम्नानुसार ₹9290000 हस्तांतरित की गई थी। जबकि मुख्य रोकड़ बही से पैंशन एवं उपदान खाते को घाटे के रूप में राशि हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	मुख्य रोकड़ बही का बचत खाता सख्या / बैंक का नाम	पैंशन एवं उपदान खाता संख्या 101334001009914 में हस्तांतरित की गई राशि (₹)
1	30.04.23	157	322701000399/ आई सी आई सी आई बैंक नालागढ़	1000000
2	30.06.23	171	50100536752241/ एच डी एफ सी नालागढ़	1000000
3	31.07.23	177	50200068976562/ एच डी एफ सी नालागढ़	2200000
4	31.08.23	184	919010019456816/ एक्सिस बैंक नालागढ़	590000
5	31.10.23	198	50100662250845/ एच डी एफ सी नालागढ़	2000000
6	31.01.24	20	50200068976562/ एच डी एफ सी नालागढ़	500000
	29.02.24	29	21698817249/ इन्डियन बैंक नालागढ़	2000000
		योग		**9290000**

पैंशन एवं उपदान खाते से घाटे के रूप में हस्तान्तित की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 397 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा अपने पैंशनरों की पैंशन की अदायगी करने के लिए नगर परिषद द्वारा प्रस्तावों की अनुपालना करते हुए यह राशि हस्तांतरित की गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमों में प्रावधान न होने के बावजूद पैंशन एवं उपदान निधि को घाटे के रूप में राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अतः नियमों में प्रावधान न होने के बावजूद पैंशन एवं उपदान निधि को घाटे के रूप में राशि हस्तांतरित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की प्रतिपूर्ति पैंशन एवं उपदान निधि से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **दुकान के हस्तांतरण शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर के रूप में कम वसूली ₹75699:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान संख्या– 47 श्रीमति भूषण देवी पत्नी श्री जसपाल के नाम से श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री हरदीप शर्मा को हस्तांतरित की गई थी। गणना शीट में दुकान के आकार के वास्तविक योग 86.67 वर्ग फुट (8.10x10.7) की जगह गणना में त्रुटि के कारण कम आकार 57.51 वर्ग फुट दर्ज करके ₹2200 प्रति वर्ग फुट की दर से जी-8 संख्या 84/356 दिनांक 2.03.2024 के अंतर्गत हस्तांतरण शुल्क ₹126522 व वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 22774 कुल ₹149296 की वसूली की गई थी। जबकि वास्तविक रूप में श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री हरदीप शर्मा से दुकान के आकार 86.67 वर्ग फुट ₹2200 प्रति वर्ग फुट की दर से हस्तांतरण शुल्क ₹190674 (86.67x2200) व वस्तु एवं सेवाकर के रूप में 34321 (190674x18%) कुल ₹224995 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः दुकान के वास्तविक हस्तांतरण शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर की जगह कम राशि की वसूली करने के कारण ₹75699 (224995-149296) की कम वसूली हुई थी। उक्त कम वसूली

का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 404 दिनांक 27.08.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या-एम० सी०/ नलग/ 2024-740 दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान संख्या -47 का आकार 8.10x7.10 फुट है परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण 8.10x10.7 फुट लिखा गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि न तो दुकान के आकार से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र व न ही दुकान की ड्राइंग अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, जिससे दुकान के आकार की सत्यापना हो सके । अतः दुकान के आकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व दुकान की ड्राइंग आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि दुकान के वास्तविक हस्तांतरण शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर की सत्यापना हो सके व दुकान के किसी भी अधिक आकार की अवस्था में दुकान के वास्तविक हस्तांतरण शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर की वसूली सम्बन्धित दुकानदार अथवा कम वसूली हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 अन्य:-

(i) क्रय किए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ₹144730 का स्थाई व अस्थाई सामान का क्रय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	39/ 1.02.24	श्री सुरिदर कुमार, संविदाकार नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	113750
2	33/	श्री राकेश कुमार एंड	कैटल फीड 20	28000

	16.02.24	कम्पनी मेन बाजार नालागढ़	बोरी	
3	26/ 6.02.24	महाजन इलेक्ट्रिकल्स चौगान बाज़ार नूरपुर, नजदीक शीतला माता मंदिर काँगड़ा (हि० प्र०)	हीट पिल्लर	2980
			योग	**144730**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने/ खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय सामान के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त क्रय सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) अनावश्यक क्रय :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत सैनिटेशन एवं अन्य सामान का क्रय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर संख्या-9/ पेज संख्या
1	42/ 13.02.24	548/ 1.02.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	14400	26
2	42/ 13.02.24	550/ 1.02.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज	सैनिटेशन का सामान	4643	25

			नालागढ़			
3	42/ 13.02.24	648/ 2.02.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	18102	25
4	42/ 13.02.24	664/ 2.02.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	4257	26
5	42/ 13.02.24	675/ 2.01.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	2059	25
6	42/ 13.02.24	691 14.01.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	2646	25
7	42/ 13.02.24	698/ 2.02.24	इमर्जिंग इंडिया इंटरप्राइजेज नालागढ़	सैनिटेशन का सामान	3828	25
8	43/ 13.02.24	256/ 12.12.23	जय माँ ग्राम उद्योग नालागढ़	ड्रेन कवर	50326	28
9	43/ 13.02.24	254/ 18.12.23	जय माँ ग्राम उद्योग नालागढ़	ट्री गार्ड विद पेंट	31860	28
10	43/ 13.02.24	258/ 26.12.23	जय माँ ग्राम उद्योग नालागढ़	विंडो गार्ड व पेंट प्रभार, टैंक कवर	18910	28
				योग	**151031**	

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गये स्थाई व अस्थाई सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने उपरांत दिनांक 31.08.2024 तक जारी/प्रयोग नहीं किया गया था। उपरोक्त क्रम संख्या 5 व 6, क्रम संख्या 1 से 4 व 7 व क्रम संख्या 8 से 10 पर उल्लेखित क्रय सामान को क्रमशः 7 माह, 6 माह व 8 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रयोग में न लाना अनावश्यक क्रय को परिलक्षित करता है। अतः सामान की आवश्यकता न होने के बावजूद ₹151031 के सामान को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनावश्यक क्रय हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में आवश्यकता अनुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) चुनाव प्रचार बैनर (होल्डिंग) शुल्क के रूप में कम वसूली :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या -53/364 दिनांक 28.03.24 के अंतर्गत श्री रविंदर ठाकुर से नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव बैनर 18x8 के दो व 10x6 का एक 20 प्रति वर्ग फुट की दर से 300 वर्गफुट क्षेत्रफल में लगाने हेतु ₹6000 की राशि वसूली गई थी। जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 348 वर्ग फुट (18x8x2+10x6x1) 20 प्रति वर्ग फुट की दर से होल्डिंग शुल्क के रूप में ₹6960 की राशि वसूली जानी अपेक्षित थी। अतः होल्डिंग शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की जगह कम राशि वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम वसूली गई राशि ₹960 (6960-6000) की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति अथवा कम वसूली हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) टैंडर में भरी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या -39 दिनांक 9.02.24 के अंतर्गत निर्माण/मुरम्मत कार्य में संविदाकार श्री सुरिंदर कुमार द्वारा टैंडर में भरी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹343 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

कार्य का नाम :- "Repair of street in Ward No.3 and sitting arrangement in ward no. 8 nera Gurdwara MC Nalagarh.

माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या =99 पेज 56 व 57

कार्य आबंटन पत्र संख्या = MC/NLG/Award/-2022-1135 दिनांक 18.10.23

मद संख्या	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	टैंडर में भरी गई दर	जिस दर पर भुगतान किया गया	अन्तर	अधिक भुगतान
1	Providing and Laying in cement concrete in 1:2:4	7.63m3	5954.35/ m3	5920/ m3	34.35/ m3	262.09
2	Steel work welded in built up section	42.11 m2	107.45/ m2	107/m2	0.45/ m2	18.95
3	Painting steel work synthetic enamel paint in two or more coats.	32.60 kg	118/ kg	119.90/ kg	1.90/ kg	61.94
					योग	**342.98 say off= 343**

अतः टैंडर में भरी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व टैंडर में भरी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण किए गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) अधिक एवं गलत भुगतान ₹300 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या -60 दिनांक 27.02.24 के अंतर्गत श्री हितेश ठाकुर, संविदाकार को निम्नलिखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों की

वास्तविक काटी गई प्रतिभूति राशि की जगह अधिक प्रतिभूति राशि लौटाने के कारण ₹300 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या/पेज संख्या	संविदाकार के बिल से काटी गई प्रतिभूति (₹)	लौटाई गई प्रतिभूति (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	C/O Retaining wall along the street H/O near Koundal back side durga mata mandir	97 पेज 58	9483	9783	300
2	C/O Retaining wall along the street H/O near Koundal back side durga mata mandir	97 पेज 60	9311	9311	0
		योग	**18794**	**19094**	**300**

अतः संविदाकार के बिल से काटी गई प्रतिभूति राशि की जगह अधिक प्रतिभूति राशि लौटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) राशि ₹40 का दुरुपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या -21/361 से 24/361 दिनांक 21.03.24 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10 प्रति रसीद की दर से `40 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था व न ही बैंक में जमा करवाया गया था। फलस्वरूप उक्त राशि का दुरूपयोग किया गया था। अतः उक्त रसीदों के अंतर्गत वसूली गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करके दुरूपयोग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जाए व उक्त दुरूपयोग की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vii) टैंडर विक्रय रजिस्टर, धरोहर राशि रजिस्टर व प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण अवधि 1.04.23 से 31.03.24 तक नगर परिषद नालागढ़ द्वारा करवाए गए निर्माण/ मुरम्मत कार्यों से सम्बन्धित टैंडर विक्रय रजिस्टर, धरोहर राशि

रजिस्टर, प्रतिभूति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियों का संधारण न करना :-

जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति ₹86268544.42 व व्यय ₹89141658.64 दर्शाया गया है। परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों का संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ix) भौतिक सत्यापन :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कमेटी गठित करने उपरांत स्टोर एवं स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कमेटी गठित करने उपरांत स्टोर एवं स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कमेटी गठित करने उपरांत स्टोर एवं स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कमेटी गठित करने उपरांत स्टोर एवं स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(x) रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आय की प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आय की प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

30 SEP 2024

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

का०/प्रति

4693– 4695

पृष्ठांकन संख्या : V (10) फिन (एल०ए०) खण्ड–6 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1 निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधान सभा, शिमला–04 को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 3. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

30 SEP 2024

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

का०/प्रति

परिशिष्ट - (क)

पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(1) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.01.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1)	पैरा -2	अनिर्णीत	
2)	पैरा -6	अनिर्णीत	
3)	पैरा -8	अनिर्णीत	
4)	पैरा -10	अनिर्णीत	
5)	पैरा -12	अनिर्णीत	
6)	पैरा -13	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1)	पैरा -17 (डी)	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1)	पैरा -15 (जे)	अनिर्णीत	
2)	पैरा -17 (सी)	अनिर्णीत	
3)	पैरा -17 (डी)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -17 (ई)	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1)	पैरा -12 (बी)	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98

1)	पैरा -12 (क)	अनिर्णीत	
2)	पैरा -15 (2) (सी)	अनिर्णीत	
3)	पैरा -15 (2) (iii)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -15 (3)	अनिर्णीत	

5)	पैरा -15 (4)	अनिर्णीत	
6)	पैरा -15 (4) (i)	अनिर्णीत	
7)	पैरा -15 (4) (ii)	अनिर्णीत	
8)	पैरा -15 (4) (iii)	अनिर्णीत	
9)	पैरा -15 (4) (iv)	अनिर्णीत	
10)	पैरा – 15 (9)	अनिर्णीत	
11)	पैरा – 15 (10)	अनिर्णीत	
12)	पैरा – 17 (घ)	अनिर्णीत	
13)	पैरा – 18 (ख)(i)	अनिर्णीत	
14)	पैरा – 18 (ख)(ii)	अनिर्णीत	
15)	पैरा – 18 (ख)(iii)	अनिर्णीत	
16)	पैरा – 18 (ख)(iv)	अनिर्णीत	
17)	पैरा – 18 (ग)	अनिर्णीत	
18)	पैरा – 18 (घ)	अनिर्णीत	
19)	पैरा – 19 (क)(i)	अनिर्णीत	
20)	पैरा – 19 (क)(iv)	अनिर्णीत	
21)	पैरा – 19 (क)(vi)	अनिर्णीत	
22)	पैरा – 19 (ख)	अनिर्णीत	
23)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
24)	पैरा – 22 (i)	अनिर्णीत	
25)	पैरा – 22 (iii)	अनिर्णीत	
26)	पैरा – 24 (क)	अनिर्णीत	
27)	पैरा – 24 (क)(2)	अनिर्णीत	
28)	पैरा – 24 (ख)	अनिर्णीत	
29)	पैरा – 24 (घ)	अनिर्णीत	

30)	पैरा – 24 (ङ)	अनिर्णीत	
31)	पैरा – 33 (1)(i)	अनिर्णीत	
32)	पैरा – 33 (1)(ii)	अनिर्णीत	
33)	पैरा – 33 (1)(iii)	अनिर्णीत	
34)	पैरा – 33 (1)(iv)	अनिर्णीत	
35)	पैरा – 33 (ख)(1)	अनिर्णीत	
36)	पैरा – 33 (ख)(7)	अनिर्णीत	
37)	पैरा – 33 (ख)(8)(i)	अनिर्णीत	
38)	पैरा – 33 (ख)(8)(ii)	अनिर्णीत	
39)	पैरा – 33 (ख)(8)(iii)	अनिर्णीत	
40)	पैरा – 33 (ख)(8)(iv)	अनिर्णीत	
41)	पैरा – 33 (ख)(9)	अनिर्णीत	
42)	पैरा – 33 (ख)(11)	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1)	पैरा -4 (iv)	अनिर्णीत	
2)	पैरा -4 (vii)	अनिर्णीत	
3)	पैरा -4 (viii)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -5 (I)	अनिर्णीत	
5)	पैरा -5 (II)	अनिर्णीत	
6)	पैरा -5 (III)	अनिर्णीत	
7)	पैरा -5 (V)	अनिर्णीत	
8)	पैरा -5 (VI)	अनिर्णीत	
9)	पैरा -5 (VII)	अनिर्णीत	

10)	पैरा -5 (VIII)	अनिर्णीत	
11)	पैरा -5 (IX)	अनिर्णीत	
12)	पैरा -5 (X)	अनिर्णीत	
13)	पैरा -5 (XI)	अनिर्णीत	
14)	पैरा -5 (XII)	अनिर्णीत	
15)	पैरा -5 (XIII)	अनिर्णीत	
16)	पैरा -5 (XIV)	अनिर्णीत	
17)	पैरा -5 (XV)	अनिर्णीत	
18)	पैरा -5 (XVI)	अनिर्णीत	
19)	पैरा -5 (XVII)	अनिर्णीत	
20)	पैरा -5 (XVIII)	अनिर्णीत	
21)	पैरा -5 (XIX)	अनिर्णीत	
22)	पैरा -5 (XX)	अनिर्णीत	
23)	पैरा -6 (i) से (ii)	अनिर्णीत	
24)	पैरा -7	अनिर्णीत	
25)	पैरा -8 (i) से (vi)	अनिर्णीत	
26)	पैरा -9 (i) से (xii)	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10

1)	पैरा -9	अनिर्णीत	
2)	पैरा -9.1	अनिर्णीत	
3)	पैरा -9.2	अनिर्णीत	
4)	पैरा -9.3	अनिर्णीत	
5)	पैरा -9.4	अनिर्णीत	
6)	पैरा -10	अनिर्णीत	
7)	पैरा -11	अनिर्णीत	

8)	पैरा -12.1	अनिर्णीत	
9)	पैरा -12.2	अनिर्णीत	
10)	पैरा -12.3	अनिर्णीत	
11)	पैरा -12.4	अनिर्णीत	
12)	पैरा -13	अनिर्णीत	
13)	पैरा -13.1	अनिर्णीत	
14)	पैरा -14	अनिर्णीत	
15)	पैरा -14.1	अनिर्णीत	
16)	पैरा -15	अनिर्णीत	
17)	पैरा -15.1.1	अनिर्णीत	
18)	पैरा -15.1.2	अनिर्णीत	
19)	पैरा -15.2	अनिर्णीत	
20)	पैरा -15.3	अनिर्णीत	
21)	पैरा -15.4	अनिर्णीत	
22)	पैरा -16.1	अनिर्णीत	
23)	पैरा -16.2	अनिर्णीत	
24)	पैरा -16.3	अनिर्णीत	
25)	पैरा -16.4	अनिर्णीत	
26)	पैरा -16.5	अनिर्णीत	
27)	पैरा -16.6	अनिर्णीत	
28)	पैरा -16.7	अनिर्णीत	
29)	पैरा -16.8	अनिर्णीत	
30)	पैरा -16.9	अनिर्णीत	
31)	पैरा -16.10	अनिर्णीत	
32)	पैरा -17.1	अनिर्णीत	

33)	पैरा -17.2	अनिर्णीत	
34)	पैरा -17.3	अनिर्णीत	
35)	पैरा -17.4	अनिर्णीत	
36)	पैरा -18	अनिर्णीत	
37)	पैरा -18.1	अनिर्णीत	
38)	पैरा -18.2	अनिर्णीत	
39)	पैरा -18.3	अनिर्णीत	
40)	पैरा -19	अनिर्णीत	
41)	पैरा -20	अनिर्णीत	
42)	पैरा -22	अनिर्णीत	
43)	पैरा -23	अनिर्णीत	
44)	पैरा -24	अनिर्णीत	
45)	पैरा -24.1	अनिर्णीत	
46)	पैरा -24.2	अनिर्णीत	
47)	पैरा -24.2.1	अनिर्णीत	
48)	पैरा -24.3	अनिर्णीत	
49)	पैरा -24.4	अनिर्णीत	
50)	पैरा -24.4.1	अनिर्णीत	
51)	पैरा -24.4.2	अनिर्णीत	
52)	पैरा -24.4.2.1	अनिर्णीत	
53)	पैरा -24.4.2.2	अनिर्णीत	
54)	पैरा -24.5	अनिर्णीत	
55)	पैरा -24.5.1	अनिर्णीत	
56)	पैरा -24.6	अनिर्णीत	
57)	पैरा -26	अनिर्णीत	

58)	पैरा -26.4	अनिर्णीत	
59)	पैरा -26.5	अनिर्णीत	
60)	पैरा -26.6	अनिर्णीत	
61)	पैरा -26.7	अनिर्णीत	
62)	पैरा -26.8	अनिर्णीत	
63)	पैरा -27	अनिर्णीत	
64)	पैरा -30	अनिर्णीत	
65)	पैरा -31	अनिर्णीत	
66)	पैरा -32	अनिर्णीत	
67)	पैरा -32.1	अनिर्णीत	
68)	पैरा -32.2	अनिर्णीत	
69)	पैरा -32.3	अनिर्णीत	
70)	पैरा -33	अनिर्णीत	
71)	पैरा -34	अनिर्णीत	
72)	पैरा -35	अनिर्णीत	
73)	पैरा -38	अनिर्णीत	
74)	पैरा -40	अनिर्णीत	
75)	पैरा -41	अनिर्णीत	
76)	पैरा -42	अनिर्णीत	
77)	पैरा -44	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1)	पैरा -21	अनिर्णीत	
2)	पैरा -24	अनिर्णीत	
3)	पैरा -29(1)(3)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -30	अनिर्णीत	

5)	पैरा -31	अनिर्णीत	
6)	पैरा -33	अनिर्णीत	
7)	पैरा -34	अनिर्णीत	
8)	पैरा -35	अनिर्णीत	
9)	पैरा -36	अनिर्णीत	
10)	पैरा -37	अनिर्णीत	
11)	पैरा -39 (ङ)	अनिर्णीत	
12)	पैरा -40	अनिर्णीत	
13)	पैरा 42	अनिर्णीत	
14)	पैरा -45	अनिर्णीत	
15)	पैरा -47 (क)	अनिर्णीत	
16)	पैरा -47 (ख)	अनिर्णीत	
17)	पैरा -47 (ग)	अनिर्णीत	
18)	पैरा -47 (घ)	अनिर्णीत	
19)	पैरा -48 (क)	अनिर्णीत	
20)	पैरा -48 (ख)	अनिर्णीत	
21)	पैरा -49	अनिर्णीत	
22)	पैरा -50	अनिर्णीत	
23)	पैरा -51	अनिर्णीत	
24)	पैरा -52 (क)(i),(ii) व (iii)	अनिर्णीत	
25)	पैरा -52 (क) (iv) (क) से (य)	अनिर्णीत	
26)	पैरा -53	अनिर्णीत	
27)	पैरा -54	अनिर्णीत	
28)	पैरा -55	अनिर्णीत	

29)	पैरा -56 (क)	अनिर्णीत	
30)	पैरा -56 (2)	अनिर्णीत	
31)	पैरा -58 (i)	अनिर्णीत	
32)	पैरा -58 (ii)	अनिर्णीत	
33)	पैरा -58 (iii)	अनिर्णीत	
34)	पैरा -58 (iv)(v)	अनिर्णीत	
35)	पैरा -59 (i)	अनिर्णीत	
36)	पैरा -59 (ii)	अनिर्णीत	
37)	पैरा -59 (iii)	अनिर्णीत	
38)	पैरा -59 (iv)	अनिर्णीत	
39)	पैरा -60 (i)	अनिर्णीत	
40)	पैरा -60 (ii)	अनिर्णीत	
41)	पैरा -60 (iii)	अनिर्णीत	
42)	पैरा -61 (i)	अनिर्णीत	
43)	पैरा -61 (ii)	अनिर्णीत	
44)	पैरा -61(iii)	अनिर्णीत	
45)	पैरा -61(iv)	अनिर्णीत	
46)	पैरा -61 (v)	अनिर्णीत	
47)	पैरा -62 (i)	अनिर्णीत	
48)	पैरा -62 (ii)	अनिर्णीत	
49)	पैरा -62 (iii)	अनिर्णीत	
50)	पैरा -63	अनिर्णीत	
51)	पैरा -64	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1)	पैरा -4(2)	अनिर्णीत	

2)	पैरा -4(3)	अनिर्णीत	
3)	पैरा -6(1)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -17	अनिर्णीत	
5)	पैरा -19	अनिर्णीत	
6)	पैरा -21(2)	अनिर्णीत	
7)	पैरा -21(3)	अनिर्णीत	
8)	पैरा -23	अनिर्णीत	
9)	पैरा -24	अनिर्णीत	
10)	पैरा -25	अनिर्णीत	
11)	पैरा -26	अनिर्णीत	
12)	पैरा -28	अनिर्णीत	
13)	पैरा -36	अनिर्णीत	
14)	पैरा -37	अनिर्णीत	
15)	पैरा -39	अनिर्णीत	
16)	पैरा -40	अनिर्णीत	
17)	पैरा -41	अनिर्णीत	
18)	पैरा -42	अनिर्णीत	
19)	पैरा -43	अनिर्णीत	
20)	पैरा -44(2)	अनिर्णीत	
21)	पैरा -45	अनिर्णीत	
22)	पैरा -47	अनिर्णीत	
23)	पैरा -48	अनिर्णीत	
24)	पैरा -49	अनिर्णीत	
25)	पैरा -50	अनिर्णीत	
26)	पैरा -51	अनिर्णीत	

27)	पैरा -52	अनिर्णीत	
28)	पैरा -53	अनिर्णीत	
29)	पैरा -54	अनिर्णीत	
30)	पैरा -55	अनिर्णीत	
31)	पैरा -56	अनिर्णीत	
32)	पैरा -58	अनिर्णीत	
33)	पैरा -59	अनिर्णीत	
34)	पैरा -60	अनिर्णीत	
35)	पैरा -62	अनिर्णीत	
36)	पैरा -63	अनिर्णीत	
37)	पैरा -64	अनिर्णीत	
38)	पैरा -65	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/16

1)	पैरा -6	अनिर्णीत	
2)	पैरा -21	अनिर्णीत	
3)	पैरा -23 (4)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -23 (5)	अनिर्णीत	
5)	पैरा -23 (6)	अनिर्णीत	
6)	पैरा -23 (7)	अनिर्णीत	
7)	पैरा -24 (1)	अनिर्णीत	
8)	पैरा -25 (1)	अनिर्णीत	
9)	पैरा -26	अनिर्णीत	
10)	पैरा -30 (1)	अनिर्णीत	
11)	पैरा -30 (2)	अनिर्णीत	
12)	पैरा -30 (3)	अनिर्णीत	

13)	पैरा -30 (4)	अनिर्णीत	
14)	पैरा -31 (1)	अनिर्णीत	
15)	पैरा -31 (2)	अनिर्णीत	
16)	पैरा -32	अनिर्णीत	
17)	पैरा -34	अनिर्णीत	
18)	पैरा -35	अनिर्णीत	
19)	पैरा -37	अनिर्णीत	
20)	पैरा -38	अनिर्णीत	
21)	पैरा -41	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/16 से 3/18

1)	पैरा -17	अनिर्णीत	
2)	पैरा -18	अनिर्णीत	
3)	पैरा -19	अनिर्णीत	
4)	पैरा -20 (क) व (ख)	अनिर्णीत	
5)	पैरा -21(i),(ii),(iii)व (iv)	अनिर्णीत	
6)	पैरा -25	अनिर्णीत	
7)	पैरा -26	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/18 से 3/20

1)	पैरा -5 (ख)	अनिर्णीत	
2)	पैरा -5 (घ)	अनिर्णीत	
3)	पैरा -6 (क)	अनिर्णीत	
4)	पैरा -6 (ख)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 8 (ग)	अनिर्णीत	
6)	पैरा -9	अनिर्णीत	

7)	पैरा -10 (घ)(i)-(1) व (2) तथा (ii)	अनिर्णीत	
8)	पैरा -12 (i) (vi)(vii)	अनिर्णीत	
9)	पैरा -13 (घ)	अनिर्णीत	
10)	पैरा -13 (ङ)	अनिर्णीत	
11)	पैरा -15 (क)	अनिर्णीत	
12)	पैरा -15 (ख)	अनिर्णीत	
13)	पैरा -15 (ग)(i)(ii)	अनिर्णीत	
14)	पैरा -16 (ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत	
15)	पैरा -17	अनिर्णीत	
16)	पैरा -18	अनिर्णीत	
17)	पैरा -19	अनिर्णीत	
18)	पैरा -20 (ख)	अनिर्णीत	
19)	पैरा -21(i)(ii)	अनिर्णीत	
20)	पैरा -22(i)(ii)	अनिर्णीत	
21)	पैरा -23 (क)	अनिर्णीत	
22)	पैरा -23 (ख)	अनिर्णीत	
23)	पैरा -23 (ग)	अनिर्णीत	
24)	पैरा -23 (घ)	अनिर्णीत	
25)	पैरा -24 (ख)(i),(ii)	अनिर्णीत	
26)	पैरा -25	अनिर्णीत	
27)	पैरा -26	अनिर्णीत	
28)	पैरा -27	अनिर्णीत	
29)	पैरा -28	अनिर्णीत	
30)	पैरा -29	अनिर्णीत	

31)	पैरा -30	अनिर्णीत	
32)	पैरा -31	अनिर्णीत	
33)	पैरा -32	अनिर्णीत	
34)	पैरा -33	अनिर्णीत	
35)	पैरा -34	अनिर्णीत	
36)	पैरा -35	अनिर्णीत	
37)	पैरा -36 (i),(ii),(iii),(iv),(v)-(क)(ख)	अनिर्णीत	
38)	पैरा -37 (क)(ख)	अनिर्णीत	
39)	पैरा -38	अनिर्णीत	
40)	पैरा -39	अनिर्णीत	
41)	पैरा -40 (i) से (viii)	अनिर्णीत	
42)	पैरा -41 (i) से (iv)	अनिर्णीत	
43)	पैरा -42 (क) (i),(ii)	अनिर्णीत	
44)	पैरा -42 (ख) (i),(ii)	अनिर्णीत	
45)	पैरा -42 (ग)	अनिर्णीत	
46)	पैरा -42 (घ) (i)(ii)	अनिर्णीत	
47)	पैरा -43 (ख)	अनिर्णीत	
48)	पैरा -43 (घ)	अनिर्णीत	
49)	पैरा -43 (ङ)	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/20 से 3/22

1)	पैरा -14.1	अनिर्णीत	
2)	पैरा -16	अनिर्णीत	
3)	पैरा -26.1	अनिर्णीत	

4)	पैरा -26.2	अनिर्णीत	
5)	पैरा -26.3	अनिर्णीत	
6)	पैरा -26.4	अनिर्णीत	
7)	पैरा -26.5	अनिर्णीत	
8)	पैरा -26.7	अनिर्णीत	
9)	पैरा -26.8	अनिर्णीत	
10)	पैरा -26.9	अनिर्णीत	
11)	पैरा -26.10	अनिर्णीत	
12)	पैरा -26.11	अनिर्णीत	
13)	पैरा -26.12	अनिर्णीत	
14)	पैरा -26.13	अनिर्णीत	
15)	पैरा -26.14	अनिर्णीत	
16)	पैरा -26.15	अनिर्णीत	
17)	पैरा -26.16	अनिर्णीत	
18)	पैरा -29	अनिर्णीत	
19)	पैरा -30	अनिर्णीत	

(14) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/22 से 3/23

1)	पैरा -4	अनिर्णीत	
2)	पैरा -5.10	अनिर्णीत	
3)	पैरा -5.11	अनिर्णीत	
4)	पैरा -5.12	अनिर्णीत	
5)	पैरा -5.13	अनिर्णीत	
6)	पैरा -6.1	निर्णीत	अनुदानों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 8 (क) पर पुनः प्रारूपित

7)	पैरा -6.2	निर्णीत	अनुदानों की व्यय हेतु शेष राशि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 8 (ख) पर पुनः प्रारूपित
8)	पैरा -6.3	अनिर्णीत	
9)	पैरा -6.4	अनिर्णीत	
10)	पैरा -7.1	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
11)	पैरा -7.2	अनिर्णीत	
12)	पैरा -8.1	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
13)	पैरा -8.2	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
14)	पैरा -8.3	अनिर्णीत	
15)	पैरा -8.4	अनिर्णीत	
16)	पैरा -9	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
17)	पैरा -10.1	निर्णीत	वसूली हेतु शेष राशियों की वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 11 पर पुनः प्रारूपित
18)	पैरा -10.2	अनिर्णीत	
19)	पैरा -10.3	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
20)	पैरा -10.4	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
21)	पैरा -10.5	अनिर्णीत	
22)	पैरा -10.6	अनिर्णीत	
23)	पैरा -10.7	निर्णीत	खाली दुकानों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–11(ii)(घ)

			में पुनः प्रारूपित
24)	पैरा -10.8	निर्णीत	अनुबन्ध न करवाना नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 11(ii)(ङ) में पुनः प्रारूपित
25)	पैरा -10.9	अनिर्णीत	
26)	पैरा -10.10	अनिर्णीत	
27)	पैरा -11.1	निर्णीत	स्वतः निर्णीत
28)	पैरा -11.2	निर्णीत	वांछित कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त
29)	पैरा -11.3	निर्णीत	₹58956 की वसूली वाउचर संख्या - 17 माह 3/24 के अंतर्गत करने की पुष्टि उपरान्त
30)	पैरा -12.1	अनिर्णीत	
31)	पैरा -12.2	अनिर्णीत	
32)	पैरा -13.1	अनिर्णीत	
33)	पैरा -13.2	अनिर्णीत	
34)	पैरा -13.3	अनिर्णीत	
35)	पैरा -14.1	अनिर्णीत	
36)	पैरा -14.2	अनिर्णीत	
37)	पैरा -14.3	अनिर्णीत	
38)	पैरा -14.4	अनिर्णीत	
39)	पैरा -14.5	अनिर्णीत	

40)	पैरा -14.6	अनिर्णीत	
41)	पैरा -15	अनिर्णीत	
42)	पैरा -16	अनिर्णीत	
43)	पैरा -17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 5 पर पुनः प्रारूपित
44)	पैरा -18	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरे	386
वर्तमान में लगाए गए पैरे	19
कुल	405
निर्णीत पैरे	15
शेष अनिर्णीत पैरे	390

परिशिष्ट - (क -1)

पैरा संख्या - 3 से संदर्भित

नगर परिषद नालागढ़ में अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	अवधि	सहायक नियन्त्रक के कार्य दिवस	आर्टिकल सहायक के कार्य दिवस
1	5.08.24 से 9.08.24	4	5
2	12.08.24 से 14.08.24	3	3
3	16.08.24 से 17.08.24	2	2
4	19.08.24 से 24.08.24	4	6
5	27.08.24 से 31.08.24	5	5
	कुल दिवस	18	21

अंकेक्षण शुल्कः-

(1) सहायक नियन्त्रक = 18x 1000 = 18000

(2) आर्टिकल सहायक = 21x 800 = 16800

कुल योग = 34800

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

पैरा संख्या-6 से सम्बन्धित

नगर परिषद नालागढ़ की वित्तीय स्थिति अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक

शीर्ष का नाम	आरम्भिक शेष	आय	भविष्य निधि व पेंशन एवं उपदान खाते से हस्तांतरित राशि	ब्याज	योग	व्यय	शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित राशि	अन्तिम शेष
स्वयं स्रोत	20279098.48	24287826.42	10341125	1677391	56585440.90	42886058	0	13699382.90
अनुदान	35337267	61980718	0	0	97317985	46255600.64	6815697	44246687.36
योग	55616365.48	86268544.42	10341125	1677391	153903425.9	89141658.64	6815697	57946070.26

EXECUTIVE OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL
NALAGARH (H.P.)

77

दिनांक 31-03-2024 तक नगर परिषद नालागढ़ की विभिन्न बैंकों के जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	908010019456816	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	223784
2	50200068976562	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	2646819.19
3	50100125645294	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	531300.99
4	50100536752241	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	1254197.27
5	50100326754135	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	101724
6	50100662250845	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	34057
7	372701000399	आई० सी० आई० सी० आई० बैंक नालागढ़	147677
8	372701000025	आई० सी० आई० सी० आई० बैंक नालागढ़	39630387
9	100064839270	इंडस बैंक नालागढ़	31430
10	7250516052	इंडियन बैंक नालागढ़	332025
11	7039139018	इंडियन बैंक नालागढ़	550676
12	21698817249	इंडियन बैंक नालागढ़	1694013.17
13	50512725026	इंडियन बैंक नालागढ़	22686
14	101334029000303	जोगिंद्रा सहकारी बैंक नालागढ़	4932924
15	65053606629	भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़	5690703.28
16	खाता संख्या उल्लेखित नहीं	भारतीय स्टेट बैंक नालागढ़ (नोराड)	5475.36
17	12560110043134	यू० को० बैंक नालागढ़	6
18	3294600000301	एस० बैंक बद्दी	44566
		योग	57874451.26

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla-9

78

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०)

दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	57946070.26
दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	57616164.26
अन्तर	329906
अन्तर का कारण	अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 के पैरा संख्या – 4 पर उल्लेखित

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)

दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद नालागढ़ की बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			57616164.26
जमाः-	दिनांक 31.03.24 तक खाता संख्या गलत होने के कारण निरस्त आर० टी० जी० एस० राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(+)	35786

क्र० सं०	नाम	दिनांक	राशि	रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की तिथि	रोकड़ बही पेज संख्या
1	सुदेश	7.03.24	2400	30.04.24	44
2	शीतल	7.03.24	3300	30.04.24	44
3	शुभम	16.03.24	3800	30.04.24	44
4	निदेशक, एच० पी० एस० ई० डी० सी० शिमला	20.03.24	26286	30.04.24	44
		योग	**35786**		

जमाः-	चैक निर्गमित किए गये लेकिन दिनांक 31.03.24 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये	(+)	454523

क्र० सं०	चैक संख्या	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	राशि	बैंक द्वारा डेबिट करने की तिथि
1	00308	1.09.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	211	-
2	00367	1.11.23	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	149	-
3	00426	1.01.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	274	-
4	00458	1.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	329	-
5	00473	14.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	2900	25.04.24
6	00485	23.03.24	एच० डी० एफ० सी० नालागढ़	450660	5.04.24
			योग	**454523**	

घटावः-	चैक वसूली हेतु भेजे गये लेकिन दिनांक 31.03.24 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया	(-)	193178

क्र० सं०	चैक संख्या	चैक जारी करने की	बैंक का नाम	राशि	बैंक द्वारा क्रेडिट करने

			तिथि			की तिथि		
	1	861258	28.03.24	पी० एन० बी० नालागढ़	53575	3.04.24		
	2	325051	30.03.24	इंडियन बैंक नालागढ़	138650	4.04.24		
	3	837661	30.03.24	इंडियन बैंक नालागढ़	953	4.04.24		
				योग	**193178**			
घटाव:-	हस्तगत रोकड़ (38824+20)						(-)	**38844**
दिनांक 31.03.24 तक बचत बैंक खातों के अनुसार अंतिम शेष								**57874451.26**

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)

परिशिष्ट -ख-1

पैरा संख्या- 4 (ग)(घ) व (ङ) से सम्बन्धित

नगर परिषद नालागढ की अंशदाई पेंशन योजना की अवधि 01.04/2023 से 31.03.2024 की वितीय स्थिति

वित वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	भुगतान	अंतिम शेष
2023.24	3038140	493559	3531699	0	3531699
दिनाक 31/03/2023 को वितिय स्थिति के अनुसार अन्त शेष 3038140					
101334029100031 JCCBank Nalagarh के अनुसार दिनाक 31/03/2024 को शेष जमा 3531699/-					

नगर परिषद नालागढ की पेंशन व उपदान निधि की अवधि 01.04/2023 से 31.03.2024 की वितीय स्थिति

वित वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	भुगतान	अंतिम शेष
2023-24	320948	11124142	11445090	10497805	947285
दिनाक 31/03/2024 को वितिय स्थिति के अनुसार अन्त शेष 320948					
101334001009914 JCCBank Nalagarh के अनुसार दिनाक 31/03/2024 को शेष जमा 947285/-					

नगर परिषद नालागढ की भविष्य निधि की अवधि 01.04/2023 से 31.03.2024 की वितीय स्थिति

वित वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	भुगतान	अंतिम शेष
2023-24	11765585.84	2380442	14146027.84	4409771	9736256.84
दिनाक 31/03/2024 को वितिय स्थिति के अनुसार अन्त शेष 117655585.84					
1013340001005612 JCCBank Nalagarh के अनुसार दिनाक 31/03/2024 को शेष जमा 9736256.84/-					

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh

पैरा संख्या- 8 (ख)(ख) व (ग) से सम्बन्धित

Municipal Council Nalagarh Distt. Solan HP

Yearwise details of Grant in aid received during the period 04/23/ to 03/24

S.No.	Head	Funding agency	Opening Balance	Amount	Total	Expenditure	Transfer Amount	Balance
1	State Finance Commission	Director UD	0	27268452	27268452	20452755	6815697	0
2	Central Finance Commission	Director UD	28010041	20827591	48837632	18804064		30033568
3	MMSAJY	Director UD	-503900	574725	70825	668700		-597875
4	Swach Bharat Mission	Director UD	0	788725	788725	788725		0
5	SDRF/NDRF	Director	0	1343315	1343315	0		1343315
6	Drone Based GIS Property	Director	0	310910	310910	0		310910
7	NCAP	Pollution Control Board Baddi	0	5000000	5000000	2537650.64		2462349.36
8	Dumper	BBNDA	0	412500	412500	412500		0
9	Cameras	BBNDA	0	250000	250000	250000		0
10	VKVNY	DC	0	350000	350000	0		350000
11	Sainik Bhawan	DC	0	300000	300000	300000		0
12	NCAP	DC	0	2587500	2587500	0		2587500
13	PMAY		0	1680000	1680000	1680000		0
14	Gaushala		0	287000	287000	0		287000
15	Parks	Director	2894720		2894720	0		2894720
16	Parking	Director	4575200		4575200	0		4575200
17	Covid 19 burial of dead body	Director	361206		361206	361206		0
			35337267	61980718	97317985	46255600.64	6815697	44246687.36

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

82

Executive Officer
Municipal Council
Distt. Solan (H.P.)

Municipal Council Nalagarh Distt. Solan HP

Yearwise details of Grant in aid received during the period 04/23/ to 03/24

S.No.	Head	Funding agency	Letter	Opening Balance	Cash Book P.No.	Amount	Total	Expenditure	Transfer Amount	Balance	UCC letter No. and date
1	State Finance Commission	Director UD	UD-H(C)(10)-1/2023-SFC Awards-loose-13931-13993 dated 31/7/2023 Cash Book Page No.177	0	177 dated 31/7/23	20447085					MC/NLG/UCC/2024-527 dated 29/05/2024
					157 dated 30/4/2023	5670					
			Online		29 dated 29/2/24	6815697	27268452	20452755	6815697	0	
2	Central Financ Commission	Director UD	Online UD-H(C)(10)-1/202-I-CFC-Release-2491-2561dated dated 10/5/2023 Cash Book Page No.157	28010041	157 dated 30/4/2023	4164012					MC/NLG/UCC/2024-528 dated 29/05/2024
			UD-H(C)(10)-1/2020-ICFC Release-2020-2490 dated 10/05/2023		157 dated 30/4/2023	6246018					
			UD-H(C)(10)-3/2020-II-4957-5018 dated 13/3/2024		37 dated 30/03/24	4167052					MC/NLG/UCC/2024-528 dated 29/05/2024
			UD-H(C)(10)-3/2020-II-4895-956 dated 14/03/2024		37 dated 30/03/24	6250509	48837632	18804064		30033568	
3	MMSAJY	Director UD	UD-H(F)Misc-MMSAGY-III-21833-852 dated 06/11/2023	-503900	6 dated 30/11/23	427350					dated 29/05/2024 RS. 574725
			UD-H(F)Misc-MMSAGY-III-21833-852 dated 06/11/2023		6 dated 30/11/23	147375	70825	668700		-597875	
4	Swach Bharat Mission	Director UD	SNA A/C		177 dated 31/7/23	148680					
			SNA A/C		177 dated 31/7/23	440000					
			SNA A/C		198 dated 31/10/23	14195					
			SNA A/C		198 dated 31/10/23	114450					
			SNA A/C		13 dated 29/12/23	71400	788725	788725		0	
5	SDRF/NDRF	Director	UD-H(F)-Rain Damages-Engg-Cell/2013-6458-6519 dated 30/03/2024	0	37 dated 30/03/24	1343315	1343315	0		1343315	
6	Drone Based GIS Property	Director	UD-H(F)(7)-1/2019-NUS-II-6544-6577 dated 30/03/2024	0	37 dated 30/03/24	310910	310910	0		310910	

83

83

7	NCAP	Pollution Control Board Baddi	PCB/RO/Baddi/MF165/Non Attainment /21-524-31 a 18/5/23	0	164 dated 31/05/23	5000000	5000000	2537650.64		2462349.36	MC/NLG/UCC/2023-1121 dated 18/10/2023
8	Dumper	BBNDA	BBNDA-06(Project)Estimate-12836 dated 29/11/2023	0	9 dated 6/12/23	412500	412500	412500		0	MC/NLG/UCC/2024-530 dated 29/05/2024
9	Cameras	BBNDA	BBNDA-06(Project)Estimate-11420 dated 26/9/2023	0	192 dated 3/10/23	250000	250000	250000		0	MC/NLG/UCC/2024-530 dated 29/05/2024
10	VKVNY	DC	PLG/SUN/VKV/2023-RTGS-3160 dated 26/12/2023	0	13 dated 29/12/23	350000	350000	0		350000	
11	Sainik Bhawan	DC	PLG-SUN-(F)5-1/2018-VKV/Nalo-1325-26 dated 16/6/2023	0	171 dated 30/6/23	300000	300000	300000		0	MC/NLG/UCC/2024-531 dated 29/05/2024
12	NCAP	DC	Accts(LFA)DA No. 681/2018-IV-147 dated 14/02/24	0	37 dated 30/03/24	1687500		0		0	
			Accts(LFA)DA No. 681/2018-IV dated March 24		37 dated 30/03/24	900000	2587500	0		2587500	
13	PMAY	Director	SNA A/C	0	157 dated 30/4/23	365000				0	
			SNA A/C		171 dated 30/6/23	380000					
			SNA A/C		190 dated 30/9/23	445000					
			SNA A/C		198 dated 31/10/23	50000					
			SNA A/C		20 dated 31/1/24	205000					
			SNA A/C		20 dated 31/1/24	65000					
			SNA A/C		37 dated 30-3-24	170000	1680000	1680000		0	
14	Gaushala		Online	0	164 dated 31/05/23	46200		0		0	
			Online		171 dated 30/6/23	25200					
			Online		177 dated 31/7/23	25200					
			Online		184 dated 31/8/23	25200					
			Online		6 dated 30/11/23	26600					

			Online		13 dated 29/12/23	33200					
			Online		20 dated 31/1/24	26600					
			Online		29 dated 29/2/24	26600					
			Online		37 dated 30-3-24	32200	287000	0		287000	
15	Parks	Director		2894720		0	2894720	0		2894720	
16	Parking	Director		4575200		0	4575200	0		4575200	Transfer [illegible]
17	Covid-19 Burial of dead body	Director	P	361206	170	0	361206	361206		0	V.Ch.No.000232 dated
				35337267		61580718	97317985	46255600.6	6815697	44246687.36	

Certified that credit of Grants is checked in Cash book as well as in pass books.

Raj K[illegible]
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh

85

परिशिष्ट-'च'

पैरा संख्या - 11(i)(क) से सम्बंधित

Office of the Municipal Council Nalagarh Distt. Solan HP

Statement of Out standing property Tax as on 31.03.2024

Year	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
1	2	3	4	5	6
2023-24	4315292	5600936	9916228	3759778	6156450

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 5

Executive Officer,
Municipal Council,
Nalagarh(HP)

Office of the Municipal Council Nalagarh Distt. Solan HP

Statement of property Tax demand Ward wise as on 31.03.2024

Sr. NO	Ward Name	Demand
1	Hospatal Wala	1715355
2	Fatak Wala	1661255
3	Harizan Wala	167725
4	Main Sahab Wala	152037
5	Jainyan Wala	361725
6	Bajajan wala	324925
7	Ghaiya Wala	616948
8	Bassian Wala	105683
9	Baida Wala	495283
	Total	**5600936**

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer,
Municipal Council,
Nalagarh(HP)

97

पैरा संख्या - 11 (ii) (क) से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'ङ'

(14)

Rent Statement for the period 4/23 to 3/24

Year	Opening Balance	Demand raised during the Year	Total	Amount recevied during the year	Closing Balance
2023-24 (Rent)	24661214	9784426	34445640	6119995	28325645
2023-24 (IDSMT)	9735019	1729712	11464731	285421	11179310
2023-24 (Plot)	582391	715883	1298274	634736	663538
Total	**34978624**	**12230021**	**47208645**	**7040152**	**40168493**

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla-9

Executive Officer,
Municipal Council,
Nalagarh (HP)

पैरा संख्या - II (ii) (ङ) से सम्बन्धित

नगर पालिका नालागढ जिला सोलन हि.प्र

01.04.2023 से 31.03.2024 तक नगर परिषद नालागढ की दुकानों/प्लाटों के इकरार नामें नवीनीकरण न करने वालों की सूचि।

नगर परिषद नालागढ के पास कुल 82 प्लाट है जिसमें से 35 प्लाट धारकों ने इकरार नामें का नवीनीकरण नही करवाया है व 398 दुकाने है जिसमें से 150 दुकानदारों ने इकरारनामें का नवीनीकरण नही करवाया । नगर परिषद द्वारा किराये रजिस्टर में नियमानुसार किराया बढाया गया है व वसूल किया जाता है।

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

कार्यकारी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
नालागढ हि.प्र

पैरा संख्या - II (iii) से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'घ'

Statement of Installation/renewal fees due realized and outstanding in r/o of mobile tower geographic jurisdiction of in M.C .Nalagarh Distt. Solan for the period of 04/23 to 03/24

S.No.	Name of mobile company	Year/date of installation of Tower	Opening Balance of pending actual demand for recovery	Opening Balance	Demand Due	Total demand raised	Demand realized	Closing balance as on 31/03/2023
1	Dishnet Wireless Limited		114750		In this context it is submitted that Govt of Hp vide letter No. PCH-HA(2)8/99-Sanchar-37786-835 dt. 13.05.2022 conveyed that annual renewal fee is applicable if towers id installed on panchyat land in MC Nalagarh all mobile tower installed on private land of local people so renewal fee is not applicable	0	0	114750
2	Tata Teleservices		114750			0	0	114750
3	Bharti Infortech Limited		66000			0	0	66000
4	Vodafone Ltd.		58250			0	0	58250
			353750/-					353750/-

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh

90

पैरा संख्या - 11 (iv) से सन्दर्भित परिशिष्ट - 'द'

Nagar parishd Nalagarh Door to Door Garbage Collection

Sr. no.	Head	No.	Rate as per Notification(Monthly)
1	House	2535	50
2	Shops	731	100
3	Govt.Office Small	9	100
4	Govt.Office big	6	1000
5	Govt. Primary School	3	100
6	Govt. ser. Sec School	3	100
7	Govt. ITI	1	100
8	Govt. Hospital	2	1500
9	Restaurant	5	1500
10	Hotal	3	1700
11	Daba	7	350
12	Bank	5	750
13	PVT. School	4	500
14	Clinic PVT	2	150
15	Dharamshala	1	550
16	Bar	1	1700
17	Govt. Collage	1	1000
18	PVT. Collage	1	1500
19	Street Vender	15	100

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer
Municipal Council
Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)

91

पैरा संख्या - 11 (V) से सम्बन्धित

Detail of Tehbazari Holder & Rickshaw Rehri Hoder 01.04.2023 to 31.03.2024

Sr. No	Total Nos of Tehbazari Holder	Total Nos of Rickshaw Rehri Holder	Demand Per Year	collection
1	44	0	2,11,943	142656
2	0	53	1,27,200	9600

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla-9

Executive Officer,
Municipal Council,
Nalagarh(HP)

पैरा संख्या-14 (I) से संदर्भित

Providing and laying cement concrete 1:2:4 (1cement:2 sand:4 graded stone aggregate) की निष्पादित मात्रा जिसको providing and fixing of pavers blocks 80mm/60mm की मात्रा से न घटाने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान ₹252339 का विवरण :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	Providing and laying cement concrete pavers blocks 80mm / 60mm की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा जिसे Providing and layig cement concrete pavers blocks से घटाया जाना अनिवार्य था	दर	अधिक भुगतान
1	C/O colour tiles near Raj Kumar house ward no. 3 Nalagarh.	श्री कृष्ण लाल	99/ 1 से 3	577.11 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	7.19 घन मीटर	48 वर्ग मीटर (320x0.15 {0.15+0.15/2=0.15)	540 प्रति वर्ग मीटर	25920
2	C/O colour tiles near Gufa mandir ward no. 9 Nalagarh.	श्री शुभन कंवर	99/ 3 से 6	425.82 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	24.30 घन मीटर	81 वर्ग मीटर (270x.30 {0.30+0.30/2)	870 प्रति वर्ग	70470
3	P/L 80mm ISI mark tiles from Amerider Singh Bhinder house to Bavinder Singh house in ward no. 7 Nalagarh	श्री हरदीप सिंह बेदी	99/ 32 से 33	186 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	0.59 घन मीटर	18.72 वर्ग मीटर (41.60x.45 {0.5+0.2+0.2+0.9/4)	547 वर्ग मीटर	10240
4	C/o road with 80mm ISI mark coloured tiles	श्री इमरान खान	99/ 42 से	312.97 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स	1.41 घन मीटर	14.20 वर्ग मीटर (113.60 x.125 {0.10+0.10+	750 वर्ग मीटर	10650

93

पैरा संख्या - 18 (ii) के सन्दर्भित

परिशिष्ट - अ

Advance given to the Staff MC Nalagh Distt. Solan

Statement of advance given to the staff of MC Nalagarh not adjusted as on 31.03.2024

S. No	Vr. No	Date	Amount
			Sh Sanjay Awasthi JE
1	5	08/05/2000	800
2	31	06/06/2001	2300
3	Nil	12/07/2001	10000
4	23	03/09/2001	10000
5	62	26/10/2002	367
6	36	11/02/2003	500
7	26	05/03/2003	1500
8	Nil	11/07/2003	2000
9	52	23/09/2003	1323
10	29	11/06/2003	20000
11	52	23/09/2003	1323
12	29	03/01/2004	1000
13	53	27/04/2004	10000
14	55	29/06/2004	4250
15	22	06/07/2004	16700
16	51	04/07/2004	5200
17	22	02/12/2004	25000
18	35	09/12/2004	28000
19	49	02/06/2005	20000
20	51	28/12/2005	8000
21	49	30/03/2006	35000
22	23	04/05/2006	7200
23	45	16/05/2006	10000
24	23	01/08/2006	10000
25	24	10/10/2006	10000
	Total		240463

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla-9

EXECUTIVE OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL
NALAGARH

पैरा संख्या - 11 (v) से सन्दर्भित

Detail of Tehbazari Holder & Rickshaw Rehri Hoder 01.04.2023 to 31.03.2024

Sr. No	Total Nos of Tehbazari Holder	Total Nos of Rickshaw Rehri Holder	Demand Per Year	collection
1	44	0	2,11,943	142656
2	0	53	1,27,200	9600

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

Executive Officer,
Municipal Council,
Nalagarh(HP)

परिशिष्ट- (ज)

पैरा संख्या-14 (i) से संदर्भित

Providing and laying cement concrete 1:2:4 (1cement:2 sand:4 graded stone aggregate) की निष्पादित मात्रा जिसको providing and fixing of pavers blocks 80mm/60mm की मात्रा से न घटाने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान ₹252339 का विवरण :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	Providing and laying cement concrete pavers blocks 80mm / 60mm की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा	Providing and Laying cement concrete in 1:2:4 की मात्रा जिसे Providing and layig cement concrete pavers blocks से घटाया जाना अनिवार्य था	दर	अधिक भुगतान
1	C/O colour tiles near Raj Kumar house ward no. 3 Nalagarh.	श्री कृष्ण लाल	99/ 1 से 3	577.11 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	7.19 घन मीटर	48 वर्ग मीटर (320x0.15 {0.15+0.15/2=0.15)	540 प्रति वर्ग मीटर	25920
2	C/O colour tiles near Gufa mandir ward no. 9 Nalagarh.	श्री शुभम कँवर	99/ 3 से 6	425.82 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	24.30 घन मीटर	81 वर्ग मीटर (270x.30 {0.30+0.30/2)	870 प्रति वर्ग	70470
3	P/L 80mm ISI mark tiles from Amerider Singh Bhinder house to Bavinder Singh house in ward no. 7 Nalagarh	श्री हरदीप सिंह बेदी	99/ 32 से 33	186 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	0.59 घन मीटर	18.72 वर्ग मीटर (41.60x.45 {0.5+0.2+0.2+0.9/4)	547 वर्ग मीटर	10240
4	C/o road with 80mm ISI mark coloured tiles	श्री इमरान खान	99/ 42 से	312.97 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स	1.41 घन मीटर	14.20 वर्ग मीटर (113.60 x.125 {0.10+0.10+	750 वर्ग मीटर	10650

93

	and 8 inch RCC pipes from gurudwara to kewal shop ward no. 9 Nalagarh		43	ब्लॉक्स		0.10+0.20/4)		
5	P/L 80mm coloured tiles with drain covered from Manju Halwai to Jaina Khan Nalagarh	श्री इमरान खान	99/ 45 से 47	277.37 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	1.20 घन मीटर	19.44 वर्ग मीटर (194.40x0.10 {.10+.10+.10+.10+.10+.10+.10+.10+.10/9)	850 वर्ग मीटर	16524
6	Construction of tiles Ram market ward no. 2 Nalagarh (NCAP)	श्री हरदीप सिंह बेदी	99/ 73 से 76	554.28 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	2.31 घन मीटर	23.10 वर्ग मीटर (231.60x0.10 {.10+.10+.10/3)	570 वर्ग मीटर	13167
7	P/L 80mm ISI mark tiles from Ramshehar road to Kardeen Karyana store in ward no. 7 Nalagarh	श्री इमरान खान	99/ 82 से 83	240.97 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	10.62 घन मीटर	43.65 वर्ग मीटर (97x0.45 {.30+0.475+0.475+0.475+0.475+0.475+0.475/7)	740 वर्ग मीटर	32301
8	P/L 80mm tiles and concrete from MC store towards serving center Moni Baba road towards shardu sharma towards jaggi in ward no. 7 nalagarh.	श्री नितिन	99/ 83 से 88	76.87 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	2.12 घन मीटर	20.96 वर्ग मीटर (131x0.16 {0.175+.175+.175+.175+.175+.087/	620 वर्ग मीटर	12995

94

9	Construction of coloured tiles 80mm near virender kumar vashisth to sushil kumar house and joining satish kumar house in ward no 8 Nalagarh	श्री विक्रम	99/ 95 से 99	314.02 वर्ग मीटर/ 60mm पवेर्स ब्लॉक्स	3.40 घन मीटर	34.67 वर्ग मीटर (346.7x.10 {(.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+.1+1+.1+.1+.1+.1+.1)/24)}	670 वर्ग मीटर	23229
10	C/o tiles near choye wala mandir ward no. 3 Nalagarh	श्री हरदीप सिंह	100/ 2 से 4	361.59 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	0.61 घन मीटर	6.134 वर्ग मीटर (61.34x.10)	875 वर्ग मीटर	5367
11	C/o tile work in back side six ten shop ward no. 7 Nalagarh	श्री सुरिंदर कुमार	100/ 6 से 8	324.99 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	2.81 घन मीटर	10.91 वर्ग मीटर (109.10x0.10 {.10+.10+.10+.10+.10+.10+.10+.10/8)	875 वर्ग मीटर	9546
12	P/L 80mm pavers tiles ISI mark from Jana Khan house to Chandani Beauty parlour ward no. 4 Nalagarh	श्री अजय ठाकुर	100/ 40 से 44	367.54 वर्ग मीटर/ 80mm पवेर्स ब्लॉक्स	5.10 घन मीटर	34 वर्ग मीटर (340x.10)	645 वर्ग मीटर	21930
							योग	252339

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla-9

पैरा संख्या- 18(ii) से सम्बन्धित पीरशिष्ट- 'स' 82

Advance given to the Staff MC Nalagh Distt. Solan

Statement of advance given to the staff of MC Nalagarh not adjusted as on 31.03.2024

S. No	Vr. No	Date	Amount
			Sh Sanjay Awasthi JE
1	5	08/05/2000	800
2	31	06/06/2001	2300
3	Nil	12/07/2001	10000
4	23	03/09/2001	10000
5	62	26/10/2002	367
6	36	11/02/2003	500
7	26	05/03/2003	1500
8	Nil	11/07/2003	2000
9	52	23/09/2003	1323
10	29	11/06/2003	20000
11	52	23/09/2003	1323
12	29	03/01/2004	1000
13	53	27/04/2004	10000
14	55	29/06/2004	4250
15	22	06/07/2004	16700
16	51	04/07/2004	5200
17	22	02/12/2004	25000
18	35	09/12/2004	28000
19	49	02/06/2005	20000
20	51	28/12/2005	8000
21	49	30/03/2006	35000
22	23	04/05/2006	7200
23	45	16/05/2006	10000
24	23	01/08/2006	10000
25	24	10/10/2006	10000
	Total		240463

Raj Kumar
Assistant Controller (Audit)
State Audit Department
H.P. Shimla- 9

96

EXECUTIVE OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL
NALAGARH